

“मज़बूत लोकतन्त्र – सबकी भागीदारी”

हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग



वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2009—2010

(01.04.2009 से 31.03.2010)

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
I.	विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत सूचना)	1—15
II.	विभाग के संविधिक (स्टैचुटरी) कार्य	16—23
III.	प्रशासनिक कार्य	24—35
IV.	परिशिष्ट	36—52

अध्याय—1

निर्वाचन विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1984—85 में सचिवालय का दर्जा प्राप्त हुआ। निर्वाचन विभाग, सरकार का “विभागीय मुख्यालय” एवं “प्रशासनिक विभाग” भी है। वर्ष 2009—10 के दौरान वन मन्त्री इस विभाग के मन्त्री प्रभारी थे। निर्वाचन विभाग का विवरण, संगठनात्मक ढांचा, क्रियाकलाप, शक्तियां और कर्तव्य निम्न प्रकार से है, जिनका वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत उल्लिखित है।

1. विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य

निर्वाचन विभाग एक गैर योजना विभाग है और विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों के संचालन का उत्तरदायित्व निभाता है। यह विभाग निम्न प्रकार की संविधिक (Statutory) कार्य/ गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण में निर्वहन करता है :-

- 1 राष्ट्रपतीय/ उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन का संचालन,
- 2 राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन,
- 3 लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/ उप निर्वाचन,
- 4 मतदान केन्द्रों की स्थापना,
- 5 मतदाता सूचियों की तैयारी एवं अद्यतन,
- 6 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना,
- 7 लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
- 8 राष्ट्रीय मतदाता जागरण अभियान।

इसके अतिरिक्त दूसरे नियमित कार्य जैसे स्थापना/ बजट, लेखा, भण्डार की आपूर्ति/ वितरण इत्यादि का कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

विभाग के कार्य का विभाजन

(i) राज्य मुख्यालय स्तर पर

- (क) सचिव (निर्वाचन) बतौर “प्रशासनिक विभाग” और विभाग में श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कार्य करते हैं।
- (ख) मुख्य निर्वाचन अधिकारी “विभागाध्यक्ष” है और तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है। मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सक्षम हैं तथा जिलों में यह शक्तियां सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) को निहित है।

- (ग) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ संविधिक कार्य (Statutory functions) के कार्यान्वयन हेतु एक अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) पदाविहित है जोकि कार्यालयाध्यक्ष एवं नियन्त्रण अधिकारी है।
- (घ) विभागीय केडर का एक पद सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) जोकि राज्य सरकार के अवर सचिव के दर्जे का है, विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी आहरण एवं संवितरण का कार्य करता है तथा यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता के लिए नियन्त्रण अधिकारी भी है। शाखा-1 में उक्त अधिकारी की सहायतार्थ 7 वरिष्ठ सहायकों के पद हैं।
- (ङ) एक और विभागीय केडर का पद निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) भी विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी तथा चार वरिष्ठ सहायक शाखा-11 का कार्य देखते हैं।
- (च) एक तकनीकी पद कम्प्युटर प्रोग्रामर(श्रेणी-1) का स्वीकृत है। इस अधिकारी की सहायतार्थ कम्प्युटर सैल में एक कम्प्युटर ऑपरेटर, एक डाटा ऑपरेटर और एक कनिष्ठ सहायक भी हैं। कम्प्युटर सैल में कार्यरत कर्मचारी मुख्यालय स्टाफ तथा जिला मुख्यालय/ उप मण्डलीय स्तर पर कार्यरत स्टाफ को कम्प्युटर प्रशिक्षण आदि का कार्य करते हैं।

(ii) जिला मुख्यालय स्तर

जिलों के उपायुक्त "जिला निर्वाचन अधिकारी" होते हैं और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। उपायुक्त, शिमला, मण्डी, हमीरपुर तथा कांगड़ा लोक सभा निर्वाचनों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हैं। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ एक-एक तहसीलदार(निर्वाचन) कार्यरत हैं। जिला कांगड़ा व मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन) तथा अन्य आठ जिलों में एक-एक नायब तहसीलदार (निर्वाचन) विद्यमान हैं। जिला किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति में नायब तहसीलदार (निर्वाचन) नहीं हैं।

(iii) उप मण्डलीय स्तर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उप मण्डलाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दो उपायुक्त (जिला लाहौल एवं स्पिति और किन्नौर) भी बतौर रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गये हैं। राजस्व/ निर्वाचन विभाग के तहसीलदार/ नायब तहसीलदार भी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो/ लिपिक तथा चपड़ासी रिटर्निंग ऑफिसरों की सहायतार्थ नियुक्त हैं।

2. ऑफिसरों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कार्यकलाप

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पदाभिहित करता है।

उक्त अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तथा पूर्व-पदेन सचिव(निर्वाचन) के तौर पर कार्य करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में निर्वाचन विभाग की कोई अलग शाखा नहीं है इसलिए वह प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष हैं।

- बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनका निर्वाचन विभाग पर पूर्ण नियन्त्रण है।
- वह जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादनार्थ उनका परिवीक्षण करते हैं। विभाग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए भी वह सक्षम है।
- वह बतौर विभागाध्यक्ष एवं सचिव(निर्वाचन) वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु सक्षम हैं।
- उनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के निवारण के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी की शक्तियां निहित हैं।
- वह विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवम् अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन)

यह पद हिमाचल प्रशासनिक सेवा कैडर का है तथा उक्त अधिकारी निर्वाचन विभाग के मुख्यालय का कार्यालयाध्यक्ष है। इनके द्वारा निम्न कार्य का निष्पादन किया जाता है :-

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) के साथ सभी विभागीय मामलों में सहायता करना।
- निर्वाचन विभाग की दोनों शाखाओं एवं कम्प्यूटर सैल का पर्यवेक्षण।
- कार्यालयाध्यक्ष स्तर के सभी वित्तीय मामलों का निपटारा।
- विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदोन्नति पुष्टिकरण।
- मुख्यालय पर कार्यरत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु रिपोर्टिंग आफिसर।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

यह अधिकारी (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) राज्य के अवर सचिव के स्तर के हैं। वह निर्वाचन विभाग मुख्यालय पर बतौर आहरण एवं सवितरण अधिकारी तथा नियन्त्रण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी विभागीय मामलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता करना।
- बजट, लेखे व भण्डार सम्बन्धी मामलों के कार्यों की देखरेख करना।
- विभाग की अन्य गतिविधियों जैसे विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग, प्रशासन में दक्षता सम्बन्धी बैठक में भाग लेना।
- अन्य विभागीय कार्यों का निरीक्षण/ निष्पादन आदि।

निर्वाचन अधिकारी

विभाग में यह पद भी राजपत्रित प्रथम श्रेणी का है। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी प्रकार के निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाता सूचियों का अद्यतन, कम्प्यूटरीकरण, मतदाताओं के पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना तथा लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्यों की देखरेख करना।

अनुभाग अधिकारी-I

यह अधिकारी अनुभाग-I का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य स्थापना, बजट, लेखे व भण्डार सामग्री आदि मामलों का निष्पादन है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सहायकों के कार्य का निरीक्षण इत्यादि।

अनुभाग अधिकारी-II

यह अधिकारी अनुभाग-II का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता जागरण अभियान, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतों आदि के कार्य का निष्पादन है तथा सम्बन्धित सहायकों का कार्य का निरीक्षण आदि।

निजी स्टाफ

निजी स्टाफ में एक पद निजी सचिव तथा एक पद वरिष्ठ आशुलिपिक और एक पद कनिष्ठ आशुलिपिक का सृजित है। यह निजी स्टाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन) अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव (निर्वाचन) के दिनचर्या के कार्य एवं जो भी सरकारी कार्य उन्हें अधिकारियों द्वारा सौंपा जाए जैसे फाईलों का रखरखाव, गोपनीय रिकार्ड की अभिरक्षा, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा में टंकण का कार्य तथा वाहनों आदि का नियन्त्रण का कार्य का निष्पादन करता है।

इसके अतिरिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	श्रेणी	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	III	वरिष्ठ सहायक	25
2.	III	निर्वाचन (कानूनगो)	70
3.	III	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	77
4.	III	कम्प्यूटर आप्रेटर	1
5.	III	वरिष्ठ आशुलिपिक	1
6.	III	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
7.	III	चालक	2
8.	IV	प्रतिलिपि चन्द्र चालक	1
9.	IV	दफतरी	1
10.	IV	चपड़ासी	74
11.	IV	चौकीदार	12
कुल योग			265

जिला स्तर के कार्यालय

जिला निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13कक के अनुसरण में प्रत्येक जिला के उपायुक्त को निर्वाचन कार्य के निर्वहन हेतु "जिला निर्वाचन अधिकारी" पदाभिहित किया गया है और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में जिलों में निर्वाचन सम्पन्न करवाए जाते हैं। चार जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा तथा मण्डी लोक सभा निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गये हैं। अन्य जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पदाविहित किए गये हैं। किन्नौर और लाहौल-स्पिति के उपायुक्त बतौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर भी कार्य करते हैं।

तहसीलदार (निर्वाचन)

जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ प्रत्येक जिला में एक-एक तहसीलदार (निर्वाचन) नियुक्त किए गये हैं। उक्त तहसीलदारों को आहरण एवं सवितरण अधिकारियों की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा विधान सभा निर्वाचनों के संचालनार्थ उन्हें सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी पदाविहित किया गया है। उक्त अधिकारी सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में निर्वाचन का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया, वोटिंग मशीनों के बारे में प्रशिक्षण आदि प्रदान करते हैं। उपमण्डल स्तर के निर्वाचन के कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण भी तहसीलदार (निर्वाचन) ही करते हैं। फील्ड के सभी प्रकार के कार्य जैसे मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी के कार्य का निरीक्षण आदि भी वे ही करते हैं।

नायब तहसीलदार (निर्वाचन)

लाहौल स्पिति तथा किन्नौर को छोड़कर जिला निर्वाचन कार्यालय शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चम्बा तथा कुल्लू में एक-एक नायब तहसीलदार तथा कांगड़ा एवं मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन), तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ नियुक्त है। उक्त अधिकारी भी मतदान प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उक्त अधिकारी फील्ड में निर्वाचन कार्य की देखरेख भी करते हैं।

वरिष्ठ सहायक

तहसीलदार (निर्वाचन)/ नायब तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ प्रत्येक जिले में एक या दो वरिष्ठ सहायकों के पद स्वीकृत हैं। उक्त कर्मचारी स्थापना, बजट एवं लेखे तथा निर्वाचन संचालनार्थ पत्राचार आदि का कार्य करते हैं।

कनिष्ठ सहायक/ लिपिक

प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में दो या तीन कनिष्ठ सहायक/ लिपिक के पद स्वीकृत हैं। उक्त कनिष्ठ सहायक/ लिपिक, वरिष्ठ सहायक की सहायता करते हैं तथा हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण कार्य, बिलों की तैयारी, डाक आवति/ प्रेषण, भण्डार सामग्री का रखरखाव इत्यादि का कार्य सम्भालते हैं।

चपड़ासी/ चौकीदार

जिला निर्वाचन कार्यालयों में 2-3 चपड़ासी तथा एक-एक चौकीदार के पद स्वीकृत है।

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय

रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

निर्वाचनों के संचालनार्थ उप मण्डलाधिकारी(नागरिक), बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं तथा मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु वह बतौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाविहित किए गये हैं। उप मण्डल स्तर पर उक्त अधिकारी निर्वाचन शाखा के प्रभारी भी होते हैं।

निर्वाचन कानूनगो

प्रत्येक उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो का पद स्वीकृत है। निर्वाचन कानूनगो रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायतार्थ नियुक्त हैं तथा फिल्ड में निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी और

निरन्तर अद्यतन, मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना आदि का कार्य करवाते हैं।

कनिष्ठ सहायक/लिपिक

एक पद कनिष्ठ सहायक/ लिपिक का हर उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत है। उक्त कर्मी हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण, डाक आवृत्ति/ प्रेषण और निर्वाचन भण्डार के रख-रखाव का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन कानूनगो के साथ हर मामले में सहायता करते हैं।

चपड़ासी

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए एक-एक पद चपड़ासी का स्वीकृत है जोकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का कार्य सम्भालते हैं।

3. पर्यवेक्षण के माध्यम तथा उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु अपनाई गई कार्य विधि

निर्वाचन विभाग में कार्यालय के कार्य की सुचारुता के अनुरूप सभी अधिकारियों/ व्यवहृतकर्ता सहायकों तथा अन्य कर्मियों को कार्य का आबंटन किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ उनका उत्तरदायित्व निर्धारित है। जहां तक कार्य के पर्यवेक्षण का प्रश्न है सभी व्यवहृतकर्ता अपने-अपने मामले में सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी को तथा अनुभाग अधिकारी आगे शाखा प्रभारी को फाईलें प्रस्तुत करते हैं। शाखा प्रभारी फाईलों को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोकि कार्यालयाध्यक्ष हैं तथा विशेष सचिव (निर्वाचन) भी हैं, उनके स्तर के मामलों के निपटान हेतु प्रस्तुत करते हैं। जो मामले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर बतौर विभागाध्यक्ष निपटाए जाने हों, ऐसे मामले अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये जाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रभारी मन्त्री को मामले प्रस्तुत करते हैं क्योंकि निर्वाचन विभाग एक तरह से Single File System वाला विभाग है। अतः सभी मामलों पर तत्परता से निर्णय ले लिए जाते हैं।

4. कार्यों के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानक

निर्वाचन विभाग में हर ऑफिसर के कार्य निष्पादन हेतु संविधिक प्रावधान (Statutory Provisions) हैं जिसके अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों का संचालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है।

निर्वाचन विभाग के पास विभागीय कर्मियों की नियुक्ति/ पदोन्नति के नियम हैं। जहां तक विभाग की कार्य प्रणाली का प्रश्न है, इस विभाग का सारा कार्य भारत निर्वाचन आयोग के

अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन में होता है जिसके लिए निम्न केन्द्रीय अधिनियम, नियम, आदेश/ अनुदेश हैं :-

- 1 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952.
- 2 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974.
- 3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951
- 4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960.
- 5 निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961.
- 6 निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अधिनियम, 2002.
- 7 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 8 रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 9 राज्य सभा निर्वाचन से सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 10 पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 11 संकलित अनुदेशों की पुस्तिका।
- 12 निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968.

5. विभाग के पास अथवा इसके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों के वर्गीकरण की विवरणी।

- (क) वित्तीय बजट आबंटन से सम्बन्धित पुस्तिका
- (ख) विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- (ग) गत लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचनों से सम्बन्धित रिपोर्ट
- (घ) पावती/ प्रेषण रजिस्टर
- (ङ.) हाजिरी रजिस्टर
- (च) आकस्मिक अवकाश रजिस्टर
- (छ) बजट नस्तियां
- (ज) स्थापना से सम्बन्धित नस्तियां
- (झ) पुनार्वलोकन बैठकों की नस्तियां
- (ञ) संसदीय/ विधान सभा प्रश्नों की नस्तियां
- (ट) अन्य नियमित कार्यों से सम्बन्धित नस्तियां आदि।

6. विभाग से सम्बन्धित नीतियों के प्रारूपीकरण अथवा तत्सम्बन्धी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के लिए किसी विद्यमान व्यवस्था का विवरण।

विभागीय नीतियों (Policies) के कार्यान्वयन हेतु जैसे मतदान केन्द्रों की स्थापना, फाटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदि के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है।

7. ऐसे बोर्ड, परिषद, समितियां अथवा अन्य निकाए जोकि दो अथवा अधिक व्यक्तियों सहित विभाग के भाग के रूप में अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित हो तथा क्या ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकाओं की बैठके जनता के लिए सार्वजनिक है अथवा क्या ऐसी बैठकों की कार्यवाही जनता की पहुंच में है।

विभाग द्वारा कोई बोर्ड, समितियां गठित नहीं की गई हैं।

8. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

विभिन्न श्रेणियों के निम्न विवरणानुसार राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा उप मण्डलीय स्तर पर पद स्वीकृत हैं।

क्र. सं.	पदों का विवरण	पदों की संख्या
राज्य मुख्यालय स्तर पर		
श्रेणी-I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव (निर्वाचन)	1
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन विशेष सचिव (निर्वाचन)	1
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतूल्य)	1
4.	निर्वाचन अधिकारी	1
5.	अनुभाग अधिकारी	2
6.	निजी सचिव	1
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	12
श्रेणी-II		
1.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	12
श्रेणी-III		
1.	वरिष्ठ सहायक	25
2.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
3.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर	1
4.	निर्वाचन कानूनगो	70
5.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
6.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	77
7.	चालक	2
श्रेणी-IV		
1.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1
2.	दफतरी	1
3.	चपड़ासी	74
4.	चौकीदार	12
कुल योग		297

9. विभाग के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा माहवार प्राप्त किया जाने वाला पारिश्रमिक:—

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान
1.	2.	3.
श्रेणी—I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव (निर्वाचन)	37400-67000+10000
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन विशेष सचिव (निर्वाचन)	37400-67000+8700 + 800 सचिवालय भत्ता
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य सरकार के अवर सचिव के समतुल्य)	15600-39100+6600 + 800 सचिवालय भत्ता
4.	निर्वाचन अधिकारी	10300-34800+5400 + 400 सचिवालय भत्ता
5.	अनुभाग अधिकारी	10300-34800+5000 + 400 सचिवालय भत्ता
6.	निजी सचिव	10300-34800+5000 + 600 सचिवालय भत्ता
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	10300-34800+5000
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+4400
श्रेणी—II		
9.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	10300-34800+4200
श्रेणी—III		
10.	वरिष्ठ सहायक	10300-34800+3800 + 240 सचिवालय भत्ता (केवल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत वरिष्ठ सहायकों के लिए)
11.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	10300-34800+3800 + 240 सचिवालय भत्ता
12.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	10300-34800+3200 + 150 सचिवालय भत्ता
13.	निर्वाचन कानूनगो	5910-20200+3000 + 100 विशेष भत्ता
14.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	5910-20200+2800 + 150 सचिवालय भत्ता

15.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	5910-20200+2800 (50%) 5910-20200+1900 (50%) मुख्यालय स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ सहायकों के लिए 150/- रूपए तथा लिपिकों के लिए 120/- रूपए सचिवालय भत्ता।
16.	चालक	5910-20200+2000 + 700 विशेष भत्ता
श्रेणी—IV		
17.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	4900-10600+1650 +100 सचिवालय भत्ता
18.	दफतरी	4900-10600+1650 +160 सचिवालय भत्ता
19.	चपड़ासी	4900-10600+1300 मुख्यालय स्तर पर कार्यरत चपड़ासियों के लिए 120/- रूपए सचिवालय भत्ता।
20.	चौकीदार	4900-10600+1300 मुख्यालय स्तर पर कार्यरत चौकीदार के लिए 120/- रूपए सचिवालय भत्ता।

10. समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा वितरण की रिपोर्ट दर्शाते हुए प्रत्येक विभाग की एजेंसियों का बजट आबंटन।

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है तथा विभिन्न प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करता है। निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित योजनाएं, स्कीमें भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुरूप कार्यान्वयन की जाती है। निधि प्रणाली तथा बजट पद्धति निम्न प्रकार से है।

वित्त वर्ष 2009-2010 के लिए अनुपूरक अनुदान सहित स्वीकृत बजट, वित्त वर्ष हेतु किए गए पुनर्विनियोजन सहित कुल बजट प्रावधान तथा 31 मार्च, 2010 तक के अनुमानित व्ययों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

मांग संख्या	वित्त वर्ष हेतु स्वीकृत बजट (रूपये)	पुनर्विनियोजन/सहमति सहित कुल प्रावधान (रूपये)	वित्त वर्ष का वास्तविक आंकड़ों के अनुरूप अनुमानित व्यय (रूपये)
17-निर्वाचन	5,45,87,000	14,06,69,000	19,40,94,000
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,50,000	4,80,000	7,25,000
31-जनजातीय विकास	43,34,000	77,51,150	1,12,81,000
कुल योग	5,91,71,000	14,89,00,150	20,61,00,000

- वित्त वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को समय-समय पर, उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध बजट के दृष्टिगत अनुपातिक दर से आबंटन किया गया तथा मासिक आय/ व्ययों के संकलित विवरण भली-भान्ति तथा नियमानुसार तैयार किए गए।
- इसी वित्त वर्ष के दौरान आगामी वित्त वर्ष 2010-2011 हेतु निम्नलिखित बजट अनुमान वित्त विभाग/जनजातीय विकास विभाग को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये:-

मांग संख्या	वित्त वर्ष 2010-2011 हेतु अनुमानित बजट प्रावधान
17-निर्वाचन	7,28,22,000
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,50,000
31-जनजातीय विकास	51,03,000
कुल योग	7,83,75,000

- उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार को निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त वर्ष 2010-2011 के लिए कुल 7,79,04,000/- रुपये के बजट अनुमान भेजे गये।
- इसी प्रकार राज्य सभा निर्वाचनों के लिए कोई भी व्यय न होने के कारण शून्य व्यय हेतु वित्त वर्ष 2010-2011 के लिए बजट अनुमान भी भारत सरकार को भेजे गये।
- वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान भारत सरकार से निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की पूर्ति हेतु अभी तक कुल 3,77,91,010/- रुपये की निधि बुक ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध हुई तथा इसे विभागीय आय मुख्य लेखा शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02-निर्वाचन 800-अन्य प्राप्तियां 01-भारत सरकार के भाग की प्रतिपूर्ति से आय" के अन्तर्गत जमा करवाने हेतु महालेखाकार कार्यालय, शिमला-171003 से अनुरोध किया गया।
- वित्त वर्ष के दौरान वित्त एवं जनजातीय विकास विभाग को विभाग से सम्बन्धित सभी मांगों के अधीन बजट प्रावधान एवं व्ययों पर नियन्त्रण के उद्देश्य से समय-समय पर आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करवाई गई।
- ऊपर वर्णित के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2009-2010 के आय/व्यय आंकड़ों का समय-समय पर लेखा कार्यालयों से मिलान किया गया तथा बजट एवं व्ययों सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, मान्य लोक लेखा समितियां, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग आदि सभी सम्बन्धित संस्थानों को उपलब्ध करवाई गई तथा नेमी कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित अन्य कार्यों का भी सम्पादन किया गया।

**गैर जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 17—“निर्वाचन”
लेखा शीर्ष : “2015—निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत**

उप शीर्ष : 102—निर्वाचन अधिकारी

01—मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग—। व ॥
103—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—01—विधान सभा
103—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—02—लोक सभा
104—01—लोक सभा / विधान सभा के एक साथ होने वाले निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी प्रभार
105—लोक सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार—01—लोक सभा
106—विधान सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार—01—विधान सभा
108—मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

**जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 31—“जनजातीय विकास”
लेखा शीर्ष : “2015—निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत**

उप शीर्ष : 796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01—मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग—। व ॥
02—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—विधान सभा
03—मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण—लोक सभा
04—विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
05—लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
08—मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना
09—लोक सभा / विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार

11. आबंटित धनराशि सहित अनुदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है। इस विभाग द्वारा कोई अनुदान धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता है।

12. विभाग द्वारा प्रदान की गई छूट, परमिट अथवा प्राधिकार पाने वालों का विवरण :

विभाग के किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परमिट और प्राधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं।

13. विभाग के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण :

इस विभाग के पास 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत मतदाता सूची वैबसाईट "http://ceohimachal.gov.in" और "http://ceohimachal.nic.in" जनसाधारण की सूचनार्थ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नागरिकों को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

14. नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी लाने हेतु तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावशाली कार्यन्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा हि.प्र. सूचना का अधिकार नियम 2006 बनाए है। नागरिक कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु 10/- के निर्धारित शुल्क के साथ सादा आवेदन कर सकता है।

15. जनसूचना अधिकारियों के नाम, पद तथा अन्य विवरण :

राज्य मुख्यालय स्तर पर	
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	जन सूचना अधिकारी
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	सहायक जन सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	अपील प्राधिकारी
जिला मुख्यालय स्तर पर 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए	
अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त (इनमें से जो भी जिला निर्वाचन कार्यालय का प्रभारी हो) उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।	जन सूचना अधिकारी
(क) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर (उप मण्डल अधिकारी/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख) तहसीलदार (निर्वाचन)/नायब तहसीलदार (निर्वाचन), उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।	

जनजातीय जिलों के लिए	
1.	जिला किन्नौर के लिए :
	उपायुक्त किन्नौर के सहायक आयुक्त
	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), किन्नौर
	सहायक जन सूचना अधिकारी
2.	जिला लाहौल-स्पिति के लिए :
(क)	लाहौल क्षेत्र के लिए :
	उप मण्डल अधिकारी(ना.), केलंग
	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), केलंग
	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख)	काजा क्षेत्र के लिए :
	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, काजा (स्थिति के अनुसार)
	जन सूचना अधिकारी
	निर्वाचन कानूनगो, काजा
	सहायक जन सूचना अधिकारी
	जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।
	अपील प्राधिकारी

16. विभाग की सामान्य सूचना :

वर्ष 2009-10 के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा अध्याय-II में वर्णित मुख्य कार्यों को सम्पादित करवाया गया है।

अध्याय—।।

विभाग के संविधिक(स्टैचूटरी) कार्य

(क) मतदान केन्द्रों की स्थापना:

- लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2002 के अन्तर्गत परिभाषित प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को समुचित संख्या में विभाजित करके मतदान केन्द्रों की स्थापना, भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व सहमति व मान्य संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों एवं राजनैतिक दलों से पूर्व चर्चा के पश्चात् की गई है।
- इन्हीं स्थापित मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं द्वारा लोक सभा एवं विधान सभा के विभिन्न निर्वाचनों/ उप-निर्वाचनों के लिए मतदान किया जाता है।
- मतदाता सूचियां मतदान केन्द्रवार तैयार की जाती हैं। मतदान केन्द्रों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव मतदाता सूचियों पर भी पड़ता है, अतः ये मतदान केन्द्र साधारणतया स्थाई तौर पर स्थापित किये जाते हैं तथा इनमें परिवर्तन अपरिहार्य कारणों से ही आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करके किया जाता है।
- निर्वाचन विभाग का सदैव प्रयास रहा है कि समय-समय पर जनसाधारण को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जायें। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पर्वतीय स्थिति, बिखरी जनसंख्या व जंगली क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े, इसी आशय से मतदाता सूचियों की तैयारी से पूर्व समय-समय पर जनसाधारण अथवा राजनैतिक दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों/ सुझावों के अनुसार और अधिक मतदान केन्द्र खोलकर इनमें वृद्धि की जाती रही है। प्रदेश में मतदान केन्द्रों की वर्तमान कुल संख्या 7253 हैं, जिनमें 2 सहायक मतदान केन्द्र भी सम्मिलित है। राज्य के लोक सभा निर्वाचन-2009 के दौरान मतदाताओं की सुविधा हेतु 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो 2 सहायक मतदान केन्द्र खोले गये हैं उनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्नित है।

(ख) (1)फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी:

- विभिन्न निर्वाचनों के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों एवं निर्धारित कार्यक्रमानुसार करवाई जाती हैं। मतदाता सूचियों की तैयारी चार विधियों द्वारा सम्पन्न करवाई जाती है – (1) गहन पुनरीक्षण, (2) संक्षिप्त पुनरीक्षण, (3) आंशिक गहन एवं आंशिक संक्षिप्त पुनरीक्षण, (4) विशेष पुनरीक्षण। सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करवाया जाता है। गहन पुनरीक्षण वाले वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष फोटोयुक्त सूचियों का संक्षिप्त अथवा विशेष

- पुनरीक्षण ही करवाया जाता है। उक्त मतदाता सूचियां प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी को मतदाताओं की 18 वर्ष की आयु अहर्ता को आधार मानकर तैयार की जाती है।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियां मतदान केन्द्र वार तैयार की जाती हैं। मतदाताओं का डाटाबेस कम्प्यूटरीकृत है तथा स्थाई किस्म का है। गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रगणकों को घर-घर जाकर सत्यापन हेतु प्रारूप मतदाता सूचियां प्रदाय की जाती है। इनमें मृतक व अपात्र मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जबकि पात्र नागरिकों के नाम सम्मिलित किये जाते हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ये सूचियां मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायतों में निर्धारित अवधि तक जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण हेतु रखी जाती हैं।
 - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को निरन्तर अद्यतन बनाए रखने, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण व फोटो पहचान पत्रों के कार्यक्रम के व्यापक प्रचार हेतु कुल 4373 बूथ लेवल आफिसर नियुक्त किए गए हैं। एक बूथ लेवल आफिसर को क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा मतदाताओं की संख्या के दृष्टिगत एक या अधिक मतदान केन्द्र भी आबंटित किए गए हैं।
 - आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा विभागीय वैबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई गई।
 - दिनांक 04-02-2010 को मतदाता सूचियों में कुल मतदाता 44,89,876 हो गए हैं।

(2)सेवा अहर्ता मतदाता:

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2003 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष मतदाता सूचियों के अन्तिम भाग के 2 अनुपूरक तैयार किये जाते हैं। पहला अनुपूरक, अभिलेख कार्यालयों से प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक प्राप्त आवेदन प्ररूपों पर 31 जनवरी को अन्तिम रूप से मुद्रित किया जाता है। तदोपरान्त 1 जनवरी से 30 जून तक प्राप्त आवेदन प्ररूपों पर 31 जुलाई को दूसरा अनुपूरक मुद्रित किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में वर्ष 2009 का दूसरा अनुपूरक 31 जुलाई, 2009 को तथा वर्ष 2010 का प्रथम अनुपूरक 31 जनवरी, 2010 को सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार किया गया। 31-1-2010 तक राज्य में कुल 70,383 सेवा अहर्ता मतदाता हो गये हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है।

(3)राष्ट्रीय मतदाता जागरण अभियान के तहत प्रचार।

प्रशासनिक रिपोर्ट की अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग से इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई गई। वर्ष 2010 में फोटो मतदाता सूचियों के होने वाले

पुनरीक्षण के दौरान आम नागरिकों के मार्गदर्शन हेतु पम्फ्लैट व पोस्टर का मसौदा विभागीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।

(ग) मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी:

भारत निर्वाचन आयोग ने मई-2009 में लोक सभा के साधारण चुनाव का संचालन करवाया। इस निर्वाचन के लिए प्रयोग में लाई गई फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल मतदाता, फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र निम्न प्रकार से थे :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
45,42,914	40,33,668 (88.79%)	40,94,180 (90.12%)	5,09,246 (11.21%)

फिर भी ऐसे मतदाता, जिन्हें पहचान पत्र न मिल पाया या किसी कारणवश उनके पास पहचान पत्र न था, ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुरूप निर्धारित किये गए 13 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को पीठासीन अधिकारी को दिखाकर अपनी पहचान साबित करने के उपरान्त निर्वाचन के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस निर्वाचन के दौरान मतदान से पूर्व मतदान अधिकारियों के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रदेश के 89.63% वोटर ने पहचान-पत्र तथा 10.37% वोटर ने वैकल्पिक दस्तावेज दिखाए।

राज्य विधानसभा से श्री वीरभद्र सिंह व श्री राजन सुशांत को लोक सभा के लिए चुने जाने के बाद उनके विधानसभा से त्याग पत्र दिए जाने के कारण पूर्वपरिसीमित 03-रोहडू व 36-जवाली सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप निर्वाचन के दृष्टिगत माह जुलाई-2009 में राज्य के पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात् 7-इन्दौर(अ0जा0), 8-फतेहपुर, 9-जवाली, 65-जुबल-कोटखाई तथा 67-रोहडू (अ0जा0) की मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति तथा मतदाता फोटो पहचान पत्रों की संख्या में वृद्धि हेतु इन क्षेत्रों के 51,669 अवशिष्ट (Residual) मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किए गए जिसके प्रत्युत्तर में 17,715 मतदाताओं ने अपने पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करवाए और 17,159 नए तथा 532 डुप्लीकेट कुल 17,691 मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर वितरित किए गए।

भारत निर्वाचन आयोग ने नवम्बर-2009 में पूर्व-परिसीमित 03-रोहडू व 36-जवाली सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप निर्वाचन का संचालन करवाया। इस निर्वाचन के लिए प्रयोग में लाई गई मतदाता सूचियों में कुल मतदाता, फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र निम्न प्रकार से थे :-

AC No. and NAME	Male	Female	Total Electors	Images printed in the roll	Image not printed	EPIC coverage	Residual	Image %age	EPICs %age
3-ROHRU	36426	33769	70195	61533	975	62508	7687	87.66	89.05
36-JAWALI	37692	36368	74060	68893	415	69308	4752	93.02	93.58

इस उप-निर्वाचन में अपनी पहचान के लिए 93.68% वोटर ने पहचान-पत्र तथा 6.32% वोटर ने वैकल्पिक दस्तावेज दिखाए।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को शत प्रतिशत फोटोयुक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं। उक्त निर्देशों की अनुपालना में फोटो व्याप्ति तथा मतदाता फोटो पहचान पत्रों की संख्या में वृद्धि हेतु माह नवम्बर-2009 में राज्य के शेष 63 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (7-इन्दौर(अ0जा0), 8-फतेहपुर, 9-जवाली, 65-जुब्बल-कोटखाई तथा 67-रोहडू(अ0जा0) के अतिरिक्त) के 4,55,246 अवशिष्ट (Residual) मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान बनाने के लिए पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किये। 21-लाहौल एवं स्पिति(अ0ज0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लाहौल क्षेत्र में अधिक बर्फवारी की वजह से यह कार्य मई 2010 तक स्थगित रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इन नोटिसों के प्रत्युत्तर में कुल 136468 मतदाताओं ने अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करवाए जिनमें से 1,32,412 नए तथा 3,670 डुप्लीकेट कुल 1,36,082 मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर सम्बन्धित मतदाताओं को वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 65-जुब्बल कोटखाई सभा निर्वाचन क्षेत्र के 485 मतदाता जिन्होंने उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए अपने पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करवाए थे, के भी पहचान पत्र तैयार किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान 1,50,056 नए तथा 4,202 डुप्लीकेट कुल 1,54,258 मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर सम्बन्धित मतदाताओं को वितरित किए गए हैं। प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो मतदाता सूचियों में दिनांक 28-01-2010 तक कुल मतदाता, फोटो व्याप्ति तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र निम्न प्रकार से है :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
44,89,876	41,66,079 (92.79%)	42,11,029 (93.79%)	3,23,797 (7.21%)

प्रदेश में निर्वाचकों और मतदाता फोटो पहचान पत्रों की निर्वाचन क्षेत्र/जिलावार विवरणिका परिशिष्ट "ग" पर है।

(घ) राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति निर्वाचन:

भारत के संविधान में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति कें पदों का प्रावधान है (अनुच्छेद 52 व 63), जिनके निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण में करवाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 324 में निहित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उक्त निर्वाचक मण्डल (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों पर आधारित होता है। इसी प्रकार उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनित सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रपति निर्वाचन में लोक सभा एवं राज्य सभा के महासचिव चक्रानुक्रम (रोटेशन) में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तथा लोक सभा/ राज्य सभा के अतिरिक्त/ संयुक्त सचिव एवं समस्त राज्य

विधान सभाओं के सचिव, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं। संसद एवं राज्य विधान सभाओं के परिसरों में मतदान के लिये स्थान निर्धारित किया जाता है। उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त/संयुक्त सचिव सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और संसद भवन परिसर में ही मतदान के लिए स्थान नियत किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 702 एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 51 निर्धारित है। राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में करवाये जाते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करवाये जाते हैं।

वर्ष 2009-2010 में राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति पद हेतु कोई भी निर्वाचन नहीं करवाये गये हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन अगस्त, 2012 में करवाये जाने हैं।

(ड.) राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन :

हिमाचल प्रदेश को राज्य सभा में कुल तीन सीटें आंबटित हैं। राज्य सभा संसद का स्थाई सदन होने तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होने के कारण प्रत्येक 2 वर्षीय अवधि में कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् एक सदस्य रिटायर होता है जिसकी रिक्ति की पूर्ति हेतु निर्वाचन करवाये जाते हैं।

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि यह विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सचिव, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और विधान सभा सदस्यों द्वारा मतदान के लिए स्थान भी विधान सभा परिसर में ही निर्धारित किया जाता है।

श्री आनन्द शर्मा राज्य सभा सदस्य के दिनांक 2 अप्रैल, 2010 को अपनी पदावधि के अवसान पर निवृत्त होने के फलस्वरूप एक रिक्ति हुई है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 39 के अन्तर्गत राज्य सभा की एक सीट के लिए निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम जारी किया:-

(1)	निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना	9 मार्च, 2010 (मंगलवार)
(2)	नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	16 मार्च, 2010 (मंगलवार)
(3)	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	17 मार्च, 2010 (बुधवार)
(4)	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	19 मार्च, 2010 (शुक्रवार)
(5)	मतदान की तिथि	26 मार्च, 2010 (शुक्रवार)
(6)	मतदान का समय	9 बजे प्रातः से 4.00 बजे सांय तक

(7)	मतगणना की तिथि व समय	26 मार्च, 2010 (शुक्रवार) 5.00 बजे सांय
(8)	निर्वाचन सम्पन्न किये जाने की तिथि	29 मार्च, 2010 (सोमवार)

उपरोक्त निर्वाचनों के लिए मतदान का स्थान डा0वाई0एस0परमार विधान सभा लाईब्रेरी हाल में नियत किया गया था तथा मतदान 9.00 पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक विनिर्दिष्ट किया गया था। इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती बिमला, जिला शिमला के नाम निर्देशन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी दल के किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा गया। परिणामतः श्रीमती बिमला (भारतीय जनता पार्टी) राज्य सभा के लिए निर्विरोध सदस्य निर्वाचित घोषित हुई। वर्तमान में निम्नलिखित सांसद हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं :-

1.	श्रीमती विप्लव ठाकुर (इंडियन नेशनल कांग्रेस)	20-3-2006 से
2.	श्री शान्ता कुमार (भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2008 से
3.	श्रीमती बिमला(भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2010 से

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सदस्यों की दलीय स्थिति

राजनैतिक दल का पूरा नाम	सदस्यों की संख्या	विधान परिषद	टिप्पणी यदि कोई हो।
1	2	3	4
1. भारतीय जनता पार्टी	42	—	—
2. इंडियन नेशनल कांग्रेस	23	—	—
3. निर्दलीय	3	—	—

(च) लोक सभा निर्वाचन, 2009 एवं विधान सभा उप-निर्वाचन, 2009:

(1) लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009:

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों यथा 1-कांगड़ा, 2-मण्डी, 3-हमीरपुर एवं 4-शिमला (अ.जा.)के साधारण निर्वाचन दिनांक 13 मई, 2009 को शांतिमय, निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पन्न करवाये गये:-

1. अधिसूचना जारी करने की तारीख	17 अप्रैल, 2009(शुक्रवार)
2. नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	24 अप्रैल, 2009(शुक्रवार)
3. नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	25 अप्रैल, 2009(शनिवार)
4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	27 अप्रैल, 2009(सोमवार)
5. मतदान की तारीख	13 मई, 2009(बुधवार)
6. मतगणना की तारीख	16 मई, 2009(शनिवार)
7. मतदान का समय	7.00 बजे प्रातः से सांय 5.00 बजे
8. वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	28 मई, 2009(वीरवार)

लोक सभा निर्वाचन-2009 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना निम्न प्रकार से है :-

1. मतदान केन्द्रों की संख्या	7253
2. मतदाताओं की संख्या	4606674
3. मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या एवं प्रतिशतता	2691573 58.43%
4. कुल नामांकन पत्रों की संख्या	45
5. रद्द किये गये नाम निर्देशन पत्र	9
6. नाम निर्देशन अभ्यर्थियों की संख्या	36
7. अभ्यर्थिता वापिस लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	5
8. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	31
9. प्रति मतदान केन्द्र की दर से औसत मतदाताओं की संख्या	626
10. मतदान की तिथि	13.05.2009
11. मतगणना की तिथि	16.05.2009

उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साधारण निर्वाचन-2009 में निम्नलिखित अभ्यर्थी निर्वाचित हुए थे :-

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	दल सहबद्धता
1	2	3
1-कांगड़ा	डा० राजन सुशांत	भारतीय जनता पार्टी
2-मण्डी	श्री वीरभद्र सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
3-हमीरपुर	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
4-शिमला (अ.जा.)	श्री विरेन्द्र कश्यप	भारतीय जनता पार्टी

(2) विधान सभा उप-निर्वाचन-2009:

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार 3-रोहडू तथा 36-जवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन दिनांक 7 नवम्बर, 2009 को शान्तिमय, निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पन्न करवाये गये:-

1. अधिसूचना जारी करने की तारीख	14 अक्टूबर, 2009(बुधवार)
2. नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	21 अक्टूबर, 2009(बुधवार)
3. नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	22 अक्टूबर, 2009(वीरवार)
4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	24 अक्टूबर, 2009(शनिवार)
5. मतदान की तारीख	7 नवम्बर, 2009(शनिवार)
6. मतगणना की तारीख	10 नवम्बर, 2009(मंगलवार)
7. मतदान का समय	8.00 बजे प्रातः से सांय 5.00 बजे तक
8. निर्वाचन सम्पन्नता की तारीख	16 नवम्बर, 2009(सोमवार)

विधान सभा उप-निर्वाचन-2009 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना निम्न प्रकार से है:-

	3-रोहडू	36-जवाली
1. मतदान केन्द्रों की संख्या	118	91
2. मतदाताओं की संख्या	70416	75541
3. मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या एवं प्रतिशतता	48691 69.15%	49619 65.68%
4. कुल नामांकन पत्रों की संख्या	7	4
5. अभ्यर्थिता वापिस लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	3	0
6. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	4	4
7. प्रति मतदान केन्द्र की दर से औसत मतदाताओं की संख्या	595	814
8. मतदान की तिथि	7.11.2009	7.11.2009
9. मतगणना की तिथि	10.11.2009	10.11.2009

3-रोहडू तथा 36-जवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के साधारण निर्वाचन-2009 में निम्नलिखित अभ्यर्थी निर्वाचित हुए थे:-

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	दल सहबद्धता
1	2	3
3-रोहडू	श्री खुशी राम बालनाहटा	भारतीय जनता पार्टी
36-जवाली	श्री सुजान सिंह पटानिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस

अध्याय-III

प्रशासनिक कार्य

(क) स्थापना सम्बन्धी कार्य:

(I) अधिकारी व कर्मचारी वर्ग :

निर्वाचन विभाग में दिनांक 31-3-2010 को विभिन्न श्रेणियों के 297 पद स्वीकृत थे।

उपरोक्त 297 स्वीकृत पदों में से दिनांक 31-3-2010 को विभिन्न श्रेणियों के 45 पद निम्न विवरणानुसार रिक्त थे :-

1.	अनुभाग अधिकारी	1
2.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
3.	तहसीलदार (निर्वाचन)	3
4.	वरिष्ठ सहायक	1
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
6.	निर्वाचन कानूनगो	8
7.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
8.	लिपिक	24
9.	चपड़ासी	3
10.	चौकीदार	2
योग :-		45

(II) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया गया:-

क्र. सं.	बैठक के आयोजन की तिथि	बैठक का स्थान	जिस प्रयोजन हेतु बैठक का आयोजन किया गया
1.	9.6.2009	निर्वाचन विभाग मुख्यालय, ब्लॉक नम्बर-38, एसडीए कम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009.	वरिष्ठ सहायक के एक रिक्त पद की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।

2.	7.9.2009	—यथो—	विभाग के निर्वाचन अधिकारी श्रेणी—I (राजपत्रित) के एकमात्र रिक्त पद की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
3.	19.9.2009	—यथो—	विभाग के नायब—तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी—II (राजपत्रित) संवर्ग के अधिकारियों को समरूप वेतनमान में 8 वर्ष का सेवाकाल बिना किसी लाभ के पूर्ण करने पर दिनांक 25.4.2009 से अतिरिक्त वेतन बृद्धि व उच्च वेतनमान स्वीकृत करने बारे।
4.	19.9.2009	—यथो—	विभाग के वरिष्ठ सहायक, श्रेणी—III(अराजपत्रित) संवर्ग के कर्मचारियों को समरूप वेतनमान में 8 वर्ष का सेवाकाल बिना किसी लाभ के पूर्ण करने पर जुलाई, 2009 से अतिरिक्त वेतन बृद्धि व उच्च वेतनमान स्वीकृत करने बारे।
5.	9.11.2009	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला—2.	विभाग के तहसीलदार (निर्वाचन) श्रेणी—I (राजपत्रित) के 5 रिक्त पद की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
6.	16.1.2010	निर्वाचन विभाग मुख्यालय, ब्लॉक नम्बर—38, एसडीए कम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला—171009.	विभाग के निजी सचिव, श्रेणी—I (राजपत्रित) के एकमात्र रिक्त पद की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।
7.	16.1.2010	—यथो—	वरिष्ठ सहायक के 6 रिक्त पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे।

(III) रिक्त पदों की पूर्ति :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन पूर्ति करने बारे विभाग द्वारा हर सम्भव प्रयास किए गए तथा प्रस्तावनाएं वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को सहमति हेतु भेजी गईं। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभागीय प्रस्तावनानुसार विभाग को निम्न रिक्त पदों की पूर्ति करने की अनुमति प्रदान की गई है :-

क्र. सं.	श्रेणी	सरकार द्वारा प्रदान अनुमति			योग
		नियमित आधार पर	अनुबन्ध आधार पर	दैनिक भोगी आधार पर	
1.	निर्वाचन कानूनगो	4	7	—	11
2.	लिपिक	1	17	—	18
3.	चतुर्थ श्रेणी	—	—	2 (चपड़ासी कम चौकीदार)	2
योग:-		5	24	2	31

निर्वाचन कानूनगो एवं लिपिकों की सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति करने बारे मांग समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर को भेज दी गई है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निम्न रिक्त पदों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके पूर्ति की गई है:-

क्र. सं.	श्रेणी	नियमित आधार पर	अनुबन्ध आधार पर	दैनिक भोगी आधार पर	सैंकण्डमेंट आधार पर	योग
1.	निर्वाचन कानूनगो	1	—	—	1	2
2.	लिपिक	1	2	—	—	3
3.	चतुर्थ श्रेणी	—	—	—	6	6
योग:-		2	2	—	7	11

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निम्न रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा पूर्ति की गई:-

क्र. सं.	श्रेणी	भरे गए रिक्त पदों की संख्या
1.	निर्वाचन अधिकारी	1
2.	निजी सचिव	1
3.	तहसीलदार (निर्वाचन)	2
4.	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	1
5.	वरिष्ठ सहायक	3
योग:-		8

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 20 प्रतिशत **Limited Direct Recruitment** कोटे के अन्तर्गत लिपिकों के 7 रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा पूर्ति करने बारे सचिव, अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर को अप्रैल, 2010 में मांग भेज दी गई है।

(IV) अधिनियमों/नियमों का अधिनियमन :

निर्वाचन विभाग के अपने कोई भी नियम/अधिनियम नहीं है। परिणामतः विभाग केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्वाचनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नियमों/अधिनियमों/अनुदेशों के अधीन कार्य करता है। निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए गए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन अद्यतन रखा जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग का प्रशासनिक कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों एवं अनुदेशों तथा हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन नियमावली, 1971 के अन्तर्गत जारी किए गए विभागीय स्थाई आदेशों के अधीन संचालित किया जाता है।

(V) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

(i) पृष्ठभूमि:— भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 (15 जून, 2005 को अधिसूचित किए जाने के 120वे दिन) को लागू हुआ था। यह अधिकार बोलने के अधिकार तथा जीवनयापन के अधिकार के आधार पर तैयार किया गया है। इस अधिनियम की यह अपेक्षा है कि जन सूचना अधिकारी आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उसे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदान करें। यदि कोई जन सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को वांछित सूचना प्रदाय नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदाय करने से इनकार किया गया है। जन सूचना अधिकारी के लिए मामले के निपटान हेतु समय सीमा आवेदन प्राप्ति की तिथि से आरम्भ होगी। जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदाय न करने की स्थिति में आवेदक अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उसे प्रदाय न करने की स्थिति में दोषी जन सूचना अधिकारियों पर 250/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्डारोपण किए जाने का प्रावधान है, यदि वे बिना किसी कारण के दोषी पाए जाते हैं। दण्ड की अधिकतम राशि 25000/-रूपए तक हो सकती है।

(ii) सूचना प्राप्त करने हेतु फीस/शुल्क: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदाय करने हेतु अपने नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार आवेदन पत्र का शुल्क 10/-रूपए निर्धारित किया गया है। सूचना तैयार होने पर इसकी कीमत निम्न प्रकार से है:—

1	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो।	प्रकाशित मूल्य पर
2	समूल्य प्रकाशनों के अतिरिक्त	ए-4 आकार तथा इससे छोटे आकार के लिए 2/-रूपए प्रति पृष्ठ तथा बड़े आकार के लिए वास्तविक लागत जो कम से कम 20/-रूपए प्रति पृष्ठ होगी।
3	जहां सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जानी हो, जैसे फ्लापी, सी.डी. इत्यादि।	50/-रूपए प्रति फ्लापी और 100/-रूपए प्रति सी.डी.।
4	रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने के लिए शुल्क	20/-रूपए प्रति 30 मिनट अथवा इसके अंश के लिए।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन बिना शुल्क सूचना प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा ऐसे प्रार्थियों को सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र के आधार पर निःशुल्क सूचना प्रदाय की जा रही है।

रिपोर्टाधीन अवधि अर्थात् 1-4-2009 से 31-3-2010 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न माध्यमों से विभाग में कुल 79 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(VI) अधिकारियों व कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां :

विभाग के सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 1-1-2009 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां उपलब्ध हैं। दिनांक 1-2-2010 की अर्हता तिथि के आधार पर सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की अस्थाई वरिष्ठता सूचियां तैयार करके दिनांक 15 फरवरी, 2010 को दावे एवं आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी कर दी गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त दावों एवं आक्षेपों का निपटारा करने के उपरान्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दिनांक 1-2-2010 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां शीघ्र जारी कर दी जाएगी।

(VII) अनुशासनहीनता के मामले :

जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), शिमला द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत श्रीमती ऊषा चौहान व श्री राजेश्वर पिटा, निर्वाचन कानूनगो को विधान सभा निर्वाचन के दौरान स्वेच्छापूर्ण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए क्रमशः दिनांक 11-1-2008 व 14-2-2008 को दोषारोपित किया गया था। दोषारोपित कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एडीएम, प्रोटोकॉल, शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा इन दोनों मामलों की जांच पूर्ण करके जांच रिपोर्ट क्रमशः दिनांक 14.9.2009 व 5.10.2009 को अनुशासनिक प्राधिकारी को सौंप दी गई थी। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्टानुसार उक्त दोनों मामलों का नियमों के अधीन दिनांक 19.12.2009 को अन्तिम रूप से निपटारा किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत श्री राजेश्वर पिटा, निर्वाचन कानूनगो को दोषमुक्त किया गया है जबकि श्रीमती ऊषा चौहान, निर्वाचन कानूनगो को **Penalty of Censure** के अल्प दण्ड दिया गया। इसके अतिरिक्त विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता/अभियोजन स्वीकृति इत्यादि का कोई मामला नहीं है।

(VIII) सतर्कता मामले :

विभाग में इस समय किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सतर्कता से सम्बन्धित कोई भी मामला नहीं है।

(IX) न्यायालय मामले :

निर्वाचन विभाग द्वारा जारी सेवा सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध दिनांक 31.3.2009 को माननीय न्यायालय में निम्न 8 मामले विचाराधीन थे। दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई भी मामला दायर नहीं हुआ:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ओ.ए. संख्या तथा दिनांक	न्यायालय मामले का संक्षेप में विवरण	उत्तर दायर करने की तिथि	अभियुक्ति / निपटारे की तिथि
1.	श्री राम चन्द्र, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)।	2216/97 26-11-97 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-1)	निलम्बन आदेश को रद्द करने तथा पूर्व तिथि से नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के पद पर पदोन्नत करने बारे।	24-12-1997	कोई नहीं

2.	श्रीमती कमलेश शर्मा, पूर्व दैनिक भोगी कर्मचारी।	13/2003 07-07-2003 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-14)	विभाग में नियमित लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।	29-07-2003	कोई नहीं
3.	श्रीमती चन्द्रावती ठाकुर।	929/1999 18-03-2004 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-17)	विभाग में दैनिक दर पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।	30-10-2004	कोई नहीं
4.	श्री बलदेव दास, कनिष्ठ सहायक।	885/2006 25-03-2006 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-25)	दिनांक 8-10-1994 से कनिष्ठ सहायक का वेतनमान दिये जाने बारे।	12-05-2006	कोई नहीं
5.	हि.प्र. राज्य निर्वाचन कानूनगो संघ	99/2008 11-1-2008 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-27)	तहसीलदार (निर्वाचन) के प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन बारे।	06-02-2008	कोई नहीं
6.	श्री कृष्ण सिंह बनाम राज्य सरकार	1300/2007 06-06-2007 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-28)	लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि से लियन व वरिष्ठता के उपरान्त वित्तीय लाभ प्रदान करने बारे।	21-07-2007	कोई नहीं
7.	श्रीमति सुमन देवी बनाम राज्य	862/2008 08-04-2008 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-29)	अल्प ठहराव होने पर स्थानान्तरण किए जाने बारे।	05-05-2008	28.10.2009
8.	श्री खूब सिंह बनाम राज्य सरकार	सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर-100/2009 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-30)	दैनिक भोगी रूप में 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने की तिथि से नियमितिकरण करने बारे।	25-02-2009	कोई नहीं

उपरोक्त न्यायालय मामलों में से क्रम संख्या-7 पर वर्णित मामले का माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28-10-2009 को अन्तिम रूप से निपटाया किया गया जबकि अन्य 7 मामले अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(X) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना व ई-समाधान को लागू करना :

जन शिकायत निवारण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना मुख्यालय व समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में कर दी गई है। उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठों को जन-साधारण की सुविधा हेतु ई-समाधान साफ्टवेयर द्वारा इन्टरनेट से जोड़ दिया गया है। ई-समाधान साफ्टवेयर के सुचारु रूप से संचालनार्थ सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है ताकि जन-साधारण से प्राप्त शिकायतों का ई-समाधान के द्वारा तुरन्त निवारण हो सकें। 01.04.2009 से 31.03.2010 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	जिस स्तर पर निपटारा किया गया	निपटारे की तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री अदित्य विकास सपुत्र स्व० हरबन्स सिंह गाव व डाकघर चौकी-खलेट तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा	02.04.2009	Regarding exemption from election duty	<u>जिला स्तर</u> जिला निर्वाचन कार्यालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	06.04.2009	
2.	श्री मदन लाल सपुत्र स्व० श्री गोरखू राम निदेशालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम् उपभोगता मामले, ब्लॉक न० 42 एसडीए कम्प्लैक्स, कसुम्पटी शिमला-9	14.05.2009	Regarding TA Bills.	<u>जिला स्तर</u> जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला	18.06.2009	
3.	श्री मदन लाल सपुत्र स्व० श्री गोरखू राम निदेशालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम् उपभोगता मामले, ब्लॉक न० 42 एसडीए कम्प्लैक्स, कसुम्पटी शिमला-9	23.06.2009	Regarding TA Bills.	<u>जिला स्तर</u> जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला	01.07.2009	
4.	श्री अजय चन्देल सपुत्र श्री राम प्रकाश डाकघर कलोल जिला बिलासपुर	21.07.2009	Regarding correction in EPIC	<u>उपमण्डल स्तर</u> उपमण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, घुमारवीं जिला बिलासपुर	30.07.2009	
5.	श्री महेन्द्र सिंह सपुत्र श्री रोशन लाल गाव खील डाकघर देवनगर तहसील व जिला शिमला	23.07.2009	Regarding non-receipt of EPIC	<u>उपमण्डल स्तर</u> उपमण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, शिमला ग्रामीण जिला शिमला	31.07.2009	
6.	श्री महेन्द्र लाल सपुत्र श्री रोशन लाल गाव खील डाकघर देवनगर तहसील व जिला शिमला	02.08.2009	Regarding non-receipt of EPIC	<u>उपमण्डल स्तर</u> उपमण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, शिमला ग्रामीण जिला शिमला	07.08.2009	
7.	श्री भेद राम सपुत्र श्री भाग सिंह गाव पियूण बूथ प्रधान भाजपा पियूण दरंग-30 175121	13.08.2009	To resolve court case filed against BJP party workers	<u>मुख्यालय स्तर</u> निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला	19.08.2009	
8.	श्री विष्णू कुमार गौतम सपुत्र श्री देवी शंकर गौतम डाकघर मोरन जिला स्वाई माधोपुर, राजस्थान	06.01.2010	Regarding requisite qualification for Sarpanch Election	<u>मुख्यालय स्तर</u> निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला	08.02.2010	
9.	श्री दिलवाग सिंह सपुत्र श्री सिकरू राम गांव भन्जल अप्पर डाकघर सुनकली तहसील अम्ब जिला ऊना	06.02.2010	Regarding reservation for SC community	<u>मुख्यालय स्तर</u> निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला	08.02.2010	
10.	श्री दुष्यंत अग्रवाल सपुत्र श्री दर्शन लाल 1733/6 नया बाजार नजदीक पी०डब्ल्यूडी०आराम गृह नाहन	06.03.2010	Regarding procedure for registering names in photo e-rolls.	<u>जिला स्तर</u> जिला निर्वाचन कार्यालय, सिरमौर	02.04.2010	

(XI) वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System):

कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेख को on-line update किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग की 243 सेवा पंजिकाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(ख) लेखा परीक्षा मामले :

निर्वाचन विभाग मुख्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2009-2010 को लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पण की 9 रिपोर्ट व 21 पैरे अनिर्णित थे। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2 रिपोर्टें और 9 पैरे प्राप्त हुये। इस प्रकार वर्ष 2009-10 में कुल 11 रिपोर्टें व 30 पैरे थे जिनमें से 7 रिपोर्टें और 25 पैरों का निपटारा अन्तिम रूप से किया जा चुका है। शेष 4 रिपोर्टें तथा 5 पैरों के निपटारे हेतु विभाग प्रयासरत है।

(ग) भण्डार एवं सामग्री :

15वीं लोक सभा निर्वाचनों के संचालनार्थ इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान करवाये जाने के आधार पर विभिन्न प्रकार के मुद्रित प्ररूप, रजिस्टर, निर्वाचन सामग्री तथा लेखन सामग्री को नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश तथा अन्य अनुमोदित फर्मों को आपूर्ति आदेश जारी किये गये और वांछित लेखन सामग्री/निर्वाचन सामग्री तथा विभिन्न प्रकार की मुद्रित सामग्री का प्रापण करके दिनांक 30.3.2009, 31.3.2009 तथा 1.4.2009 को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) को वितरित की गई।

लोक सभा निर्वाचन, 2009 के संचालन हेतु इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तर की चैकिंग के बारे भारत निर्वाचन आयोग को समय पर दैनिक रिपोर्टें भेजी गईं। 10,990 इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में से 10,629 कन्ट्रोल युनिट तथा 10,677 बैलट युनिट ठीक पाये गये जिनका प्रयोग सांयोगिक (Randomisation) रीति से लोक सभा निर्वाचन के संचालन हेतु किया गया।

प्रदेश में पहली बार दृष्टिहीन मतदाताओं को मतदान करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का पालन करते हुए 11,000 ब्रेललिपि के स्टीकर को भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर से क्रय किया गया जिन्हें दृष्टिहीन मतदाताओं को पढ़ने हेतु सभी वैलट युनिट पर चिपकाया गया।

3-रोहडू और 36-जवाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य क्रमशः श्री वीरभद्र सिंह तथा श्री राजन सुशान्त लोक सभा निर्वाचन, 2009 के दौरान लोक सभा सदस्य निर्वाचित

होने के कारण उपरोक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें रिक्त हो गई थी। उक्त सीटों को भरने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर, 2009 को उप-निर्वाचनों की घोषणा की गई। उक्त उप-निर्वाचनों के संचालनार्थ भी निर्वाचन सामग्री तथा लेखन सामग्री को नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश तथा अन्य अनुमोदित फर्मों को आपूर्ति आदेश जारी किये गये और वांछित लेखन सामग्री/निर्वाचन सामग्री तथा विभिन्न प्रकार की मुद्रित सामग्री का प्रापण करके दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 को सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) को वितरित की गई।

प्रदेश में मतदाता फोटोपहचान पत्रों से वंचित मतदाताओं फोटो पहचान पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से 20 लेजर टोनर 8543 एक्स, 3,60,000 लैमिनेशन पाऊच, 2 लैमिनेशन मशीनें पेपर कटर सहित क्रय की गई।

दिनांक 1.1.2010 की अहर्ता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के संचालनार्थ लेखन सामग्री तथा वार्षिक लेखन सामग्री को नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश से क्रय करके दिनांक 17 मार्च, 2010 को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) को वितरित किया गया।

भण्डार सीट द्वारा मुख्यालय सहित सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों को अपने-अपने भण्डार की वस्तुओं के भौतिक सत्यापन तथा पुराने अभिलेख की छंटाई करने के निदेश जारी किये गये।

(घ) विभाग में कम्प्यूटरीकरण

निर्वाचन विभाग का लगभग पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। मुख्यालय में लगभग सभी कार्य कम्प्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। कम्प्यूटरीकृत मुख्य कार्यों की सूची निम्न प्रकार से है:

1. मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण।
2. मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य।
3. लोक सभा निर्वाचन-2009 के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं/डाटा का सम्प्रेषण।
4. लोक सभा निर्वाचन-2009 की पुस्तक को तैयार करना।
5. विभागीय बैवसाइट को अपडेट व विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध करना।
6. सामान्य कार्यालय पत्र व्यवहार।

● मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण विभाग द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया है। मतदाता सूचियों की डाटा एन्ट्री का कार्य जिला मुख्यालय स्तर व उप-मण्डल स्तर पर विभाग द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है तथा डाटा इन्टरनेट के माध्यम से मुख्यालय को भेजा जाता है। मुख्यालय में इस डाटा की पी.डी.एफ. बना कर CDRs में copy करके जिला मुख्यालयों को भेजा जाता है।

- सेवा अर्हता मतदाता के 2009 के अनुपूरक-2 तथा 2010 के अनुपूरक-1 की मतदाता सूचियों को तैयार करके सभी जिलों को प्रदान की गई।
- विभाग ने मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार फोटो पहचान पत्र तैयार करने के लिये भी सॉफ्टवेयर अपने ही स्तर पर विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर प्रोफेशनल की सहायता से तैयार किया है, जिसका प्रयोग हाल ही में हुए अभियानों में सफलता से किया गया है।
- लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को जिला मुख्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों से इन्टरनेट के माध्यम से सफलतापूर्वक भारत निर्वाचन आयोग को सम्प्रेषण किया गया। निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए **Randomization Software** का प्रशिक्षण **NIC, HP Sectt., Shimla** की सहायता से सभी जिलों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया गया।

SMS द्वारा मतदान केन्द्रों से डाटा का सम्प्रेषण:

- NIC, शिमला की सहायता से मतदान केन्द्रों से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को SMS द्वारा सम्प्रेषण करने के लिए CEO Tripura द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का प्रयोग 3-रोहड़ू व 36-जवाली (पूर्व सीमांकित सभा निर्वाचन क्षेत्रों) के उप-चुनावों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों रोहड़ू व जवाली के अधिकारियों, कर्मचारियों व बूथ लेवल अधिकारियों को SMS के द्वारा डाटा भेजने का प्रशिक्षण दिया गया।

SMS द्वारा मतदाताओं की विधान सभा क्षेत्र, मतदान केन्द्र, क्रमांक व नाम को ढूंढना:

- हिमाचल प्रदेश के नागरिक अपने विधान सभा क्षेत्र, मतदान केन्द्र का पता, अपना क्रमांक व नाम की जानकारी SMS के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने Mobile Phone से एक Message (EPIC<Space>EPIC NO) को 56300 पर भेजना पड़ता है। यदि नागरिक का नाम मतदाता सूची में विद्यमान हो तो उनके Mobile Phone पर एक Message मिलता है जिसमें उनके विधान सभा क्षेत्र, मतदान केन्द्र, क्रमांक व नाम का ब्यौरा लिखा होता है।
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, लोक सभा निर्वाचनों की 68-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की **Alphabetical Order** में मतदाता सूचियाँ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया और पी.डी.एफ. तैयार करके सम्बन्धित जिलों को प्रिंटिंग के लिए प्रदान की गई। इन मतदाता सूचियों का प्रयोग निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों में मतदाताओं का नाम ढूंढने के लिए किया गया।

- गत वर्ष दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया और सम्भावित दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की सूचियां तैयार करके सभी जिलों को सत्यापन करने के लिए प्रदान की गई। इन मतदाताओं की जांच पड़ताल करने के बाद 68-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सत्यापित दोहरे पंजीकृत मतदाताओं के नामों का मतदाता सूचियों से विलोपन किया गया।

- लोक सभा निर्वाचनों से पहले निरन्तर अद्यतन के अन्तर्गत मतदाता सूचियों की पी.डी.एफ. तैयार करके जिलों को प्रिंटिंग व प्रकाशन करने के लिए प्रदान की गई।

- लोक सभा निर्वाचन-2009 की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करके पुस्तक को तैयार किया गया।

- विभाग द्वारा अपनी बैवसाइट <http://ceohimachal.nic.in> तैयार की गई है जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध है। सभी मतदाताओं का डाटाबेस भी इस बैवसाइट पर डाला गया है जिससे मतदाता अपने नाम इत्यादि मतदाता सूची में ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों को पी.डी.एफ. फॉरमेट में बैवसाइट पर डाला गया है। ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को प्रदान की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, लोक सभा निर्वाचनों की 68-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के डाटाबेस को ISFOC-Format से UNICODE-Format में convert किया गया और डाटाबेस को SQL-Server Database में convert किया गया। मतदाताओं के फोटो को Database में merge किया गया।

(ड.) कार्यालयों का निरीक्षण।

निर्वाचन विभाग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करने हेतु निर्वाचन विभाग मुख्यालय स्तर पर संकलित निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यालयों (जिला लाहौल-स्पिति को छोड़कर) का निरीक्षण निम्न विवरणानुसार किया गया:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम व पदनाम	जिला/उप-मण्डल का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	श्री पी0एल0 नेगी, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हि0प्र0।	किन्नौर	3 व 4 जुलाई, 2009
2	-यथो-	उप-मण्डल, चौपाल	3 दिसम्बर, 2009
3	-यथो-	उप-मण्डल, राजगढ़	20 दिसम्बर, 2009
4	-यथो-	उप-मण्डल, पांवटा-साहिब	22 दिसम्बर, 2009
5	-यथो-	सिरमौर	21 व 22 दिसम्बर, 2009
6	-यथो-	बिलासपुर	12 जनवरी, 2010
7	-यथो-	हमीरपुर	13 जनवरी, 2010

8	—यथो—	ऊना	14 व 15 जनवरी, 2010
9	श्री राम लाल ठाकुर, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हि0प्र0।	सोलन	11 सितम्बर, 2009
10	—यथो—	शिमला	14 सितम्बर, 2009
11	—यथो—	कांगड़ा	7 जनवरी, 2010
12	—यथो—	संचालन शाखा, निर्वाचन विभाग मुख्यालय	16 फरवरी, 2010
13	श्री नन्द लाल, निर्वाचन अधिकारी, हि0प्र0।	चम्बा	19 व 21 जनवरी, 2010
14	—यथो—	उप-मण्डल, भरमौर	20 जनवरी, 2010
15	—यथो—	मण्डी	8 फरवरी, 2010
16	—यथो—	कुल्लू	9 फरवरी, 2010

इसके अतिरिक्त उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालयों का निरीक्षण सम्बन्धित जिलों के तहसीलदार/नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) द्वारा किया गया।

परिशिष्ट "क"

Name of Distt.	No. & Name of A/C	Existing Polling Stations		Auxiliary Polling Stations	
		No. & Name of Polling Station	Name of Existing Polling Stations Buildings	No. & Name of Auxiliary Polling Station	Name of Auxiliary Polling Stations Buildings
1	2	3	4	5	6
Mandi	31-Jogindernagar	98-Garoru	Govt. Primary School, Garoru	98-A-Garoru	Govt. Primary School, Garoru (Left Side)
Solan	54-Kasauli (SC)	55-Sanawar	Govt. Primary School, Sanawar	55-A-Sanawar	Leprosy Hospital Mandodhar

AC-wise data of Service Electors as on 31-1-2010

No. & Name of Assembly Constituency	Service Electors as on 31.1.2010 as per Data received from DEOs		
	Male	Female	TOTAL
1	2	3	4
1-Churah (SC)	172	68	240
2-Bharmour (ST)	138	50	188
3-Chamba	145	45	190
4-Dalhousie	147	32	179
5-Bhattiyat	1230	475	1705
6-Nurpur	1226	592	1818
7-Indora (SC)	940	391	1331
8-Fatehpur	1170	449	1619
9-Jawali	1383	585	1968
10-Dehra	1259	545	1804
11-Jaswan Pragpur	917	377	1294
12-Jawalamukhi	1072	430	1502
13-Jaisnghpur (SC)	1443	670	2113
14-Sulah	1938	904	2842
15-Nagrota	1040	458	1498
16-Kangra	606	263	869
17-Shahpur	1275	614	1889
18-Dharamshala	982	445	1427
19-Palampur	1016	415	1431
20-Bajjnath	1140	485	1625
21-Lahaul and Spiti (ST)	301	81	382
22-Manali	93	32	125
23-Kullu	191	107	298
24-Banjar	134	67	201
25-Anni (SC)	147	70	217
26-Karsog (SC)	144	59	203
27-Sunder Nagar	496	146	642
28-Nachan (SC)	734	212	946
29-Seraj	149	52	201
30-Drang	694	220	914
31-Jogindernagar	1490	598	2088
32-Dharampur	1414	606	2020
33-Mandi	978	289	1267
34-Balh(SC)	871	268	1139
35-Sarkaghat	1287	515	1802
36-Bhoranj (SC)	1661	544	2205
37-Sujanpur	2547	1036	3583
38-Hamirpur	1616	655	2271
39-Barsar	2193	964	3157
40-Nadaun	1319	285	1604
41-Chintpurni (SC)	767	328	1095
42-Gagret	1157	467	1624
43-Haroli	685	238	923
44-Una	314	108	422
45-Kutlehar	904	285	1189

46-Jhandutta	1128	460	1588
47-Ghumarwin	1290	565	1855
48-Bilaspur	595	265	860
49-Shri Naina Deviji	238	90	328
50-Arki	556	205	761
51-Nalagarh	670	193	863
52-Doon	412	153	565
53-Solan (SC)	240	84	324
54-Kasauli(SC)	335	124	459
55-Pachhad (SC)	374	47	421
56-Nahan	568	161	729
57-Sri Renukaji (SC)	308	73	381
58-Paonta Sahib	356	76	432
59-Shillai	206	47	253
60-Chopal	163	58	221
61-Theog	267	95	362
62-Kasumpti	140	40	180
63-Shimla	102	58	160
64-Shimla Rural	368	136	504
65-Jubbal Kotkhai	150	83	233
66-Rampur (SC)	104	57	161
67-Rohru (SC)	160	66	226
68-Kinnaur (ST)	402	65	467
Total=	50657	19726	70383

परिशिष्ट "ग"

EPICs position as on 28-01-2010

AC No & NAME	Total Electors	Residual	Image not printed	Total Residual	Total Photos printed	Total EPIC Holder	Residual %age	% image not printed	Total Residual	Photo/Image %age	EPIC %age
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHAMBA											
1-CHURAH(SC)	60032	3167	413	3580	56452	56865	5.28	0.69	5.96	94.04	94.72
2-BHARMOUR(ST)	67758	9502	321	9823	57935	58256	14.02	0.47	14.50	85.50	85.98
3-CHAMBA	68008	4765	581	5346	62662	63243	7.01	0.85	7.86	92.14	92.99
4-DALHOUSIE	58864	3081	284	3365	55499	55783	5.23	0.48	5.72	94.28	94.77
5-BHATTIYAT	61994	3057	743	3800	58194	58937	4.93	1.20	6.13	93.87	95.07
District Total	316656	23572	2342	25914	290742	293084	7.44	0.74	8.18	91.82	92.56
KANGRA											
6-NURPUR	70925	6423	828	7251	63674	64502	9.06	1.17	10.22	89.78	90.94
7-INDORA(SC)	71516	6767	491	7258	64258	64749	9.46	0.69	10.15	89.85	90.54
8-FATEHPUR	68505	4514	378	4892	63613	63991	6.59	0.55	7.14	92.86	93.41
9-JAWALI	77906	5045	840	5885	72021	72861	6.48	1.08	7.55	92.45	93.52
10-DEHRA	66441	3571	412	3983	62458	62870	5.37	0.62	5.99	94.01	94.63
11-JASWAN-PRAGPUR	65603	3690	375	4065	61538	61913	5.62	0.57	6.20	93.80	94.38
12-JAWALAMUKHI	60952	2335	472	2807	58145	58617	3.83	0.77	4.61	95.39	96.17
13-JAISINGHPUR(SC)	70965	6228	931	7159	63806	64737	8.78	1.31	10.09	89.91	91.22
14-SULLAH	85316	6962	1228	8190	77126	78354	8.16	1.44	9.60	90.40	91.84
15-NAGROTA	71681	4291	404	4695	66986	67390	5.99	0.56	6.55	93.45	94.01
16-KANGRA	66186	3895	1187	5082	61104	62291	5.88	1.79	7.68	92.32	94.12
17-SHAHPUR	70939	5461	1330	6791	64148	65478	7.70	1.87	9.57	90.43	92.30
18-DHARAMSHALA	65519	5575	1179	6754	58765	59944	8.51	1.80	10.31	89.69	91.49
19-PALAMPUR	63790	6131	720	6851	56939	57659	9.61	1.13	10.74	89.26	90.39
20-BAIJNATH(SC)	75310	7153	1346	8499	66811	68157	9.50	1.79	11.29	88.71	90.50
District Total	1051554	78041	12121	90162	961392	973513	7.42	1.15	8.57	91.43	92.58
LAHAUL & SPITI											
21-LAHAUL & SPITI(ST)	22641	2250	217	2467	20174	20391	9.94	0.96	10.90	89.10	90.06
District Total	22641	2250	217	2467	20174	20391	9.94	0.96	10.90	89.10	90.06
KULLU											
22-MANALI	60966	2903	251	3154	57812	58063	4.76	0.41	5.17	94.83	95.24
23-KULLU	74382	4330	188	4518	69864	70052	5.82	0.25	6.07	93.93	94.18
24-BANJAR	59738	1823	116	1939	57799	57915	3.05	0.19	3.25	96.75	96.95
25-ANNI(SC)	70760	2309	386	2695	68065	68451	3.26	0.55	3.81	96.19	96.74
District Total	265846	11365	941	12306	253540	254481	4.28	0.35	4.63	95.37	95.72
MANDI											
26-KARSOG(SC)	58961	2565	221	2786	56175	56396	4.35	0.37	4.73	95.27	95.65
27-SUNDERNAGAR	67570	3627	763	4390	63180	63943	5.37	1.13	6.50	93.50	94.63
28-NACHAN(SC)	67976	2258	579	2837	65139	65718	3.32	0.85	4.17	95.83	96.68
29-SERAJ	65110	1639	148	1787	63323	63471	2.52	0.23	2.74	97.26	97.48
30-DARANG	71139	4465	407	4872	66267	66674	6.28	0.57	6.85	93.15	93.72
31-JOGINDERNAGAR	80622	3145	556	3701	76921	77477	3.90	0.69	4.59	95.41	96.10
32-DHARAMPUR	66288	5454	880	6334	59954	60834	8.23	1.33	9.56	90.44	91.77
33-MANDI	63344	3335	325	3660	59684	60009	5.26	0.51	5.78	94.22	94.74
34-BALH(SC)	63323	2507	568	3075	60248	60816	3.96	0.90	4.86	95.14	96.04
35-SARKAGHAT	73130	3829	138	3967	69163	69301	5.24	0.19	5.42	94.58	94.76
District Total	677463	32824	4585	37409	640054	644639	4.85	0.68	5.52	94.48	95.15

HAMIRPUR											
36-BHORANJ(SC)	67999	2645	833	3478	64521	65354	3.89	1.23	5.11	94.89	96.11
37-SUJANPUR	61322	3797	1425	5222	56100	57525	6.19	2.32	8.52	91.48	93.81
38-HAMIRPUR	64235	4777	1042	5819	58416	59458	7.44	1.62	9.06	90.94	92.56
39-BARSAR	70711	2111	1526	3637	67074	68600	2.99	2.16	5.14	94.86	97.01
40-NADAUN	77718	3060	1102	4162	73556	74658	3.94	1.42	5.36	94.64	96.06
District Total	341985	16390	5928	22318	319667	325595	4.79	1.73	6.53	93.47	95.21
UNA											
41-CHINTPURNI(SC)	71500	5032	184	5216	66284	66468	7.04	0.26	7.30	92.70	92.96
42-GAGRET	68490	3826	231	4057	64433	64664	5.59	0.34	5.93	94.07	94.41
43-HAROLI	69910	2970	458	3428	66482	66940	4.25	0.66	5.91	95.09	95.75
44-UNA	70277	2820	405	3225	67052	67457	4.01	0.58	4.59	95.41	95.99
45-KUTLEHAR	69496	1902	275	2177	67319	67594	2.74	0.4	2.78	97.22	98.86
District Total	349673	16550	1553	18103	331570	333123	4.73	0.44	5.18	94.82	95.27
BILASPUR											
46-JHANDUTA(SC)	64017	3598	654	4252	59765	60419	5.62	1.02	6.64	93.36	94.38
47-GHUMARWIN	72556	4253	611	4864	67692	68303	5.86	0.84	6.70	93.30	94.14
48-BILASPUR	68238	2831	448	3279	64959	65407	4.15	0.66	4.81	95.19	95.85
49-SRI NAINA DEVIJI	58387	2576	247	2823	55564	55811	4.41	0.42	4.83	95.17	95.59
District Total	263198	13258	1960	15218	247980	249940	5.04	0.74	5.78	94.22	94.96
Solan											
50-ARKI	73436	2915	201	3116	70320	70521	3.97	0.27	4.24	95.76	96.03
51-NALAGARH	68767	2435	208	2643	66124	66332	3.54	0.30	3.84	96.16	96.46
52-DOON	50447	1716	71	1787	48660	48731	3.40	0.14	3.54	96.46	96.60
53-SOLAN(SC)	73225	8174	1033	9207	64018	65051	11.16	1.41	12.57	87.43	88.84
54-KASAULI(SC)	54552	2031	115	2146	52406	52521	3.72	0.21	3.93	96.07	96.28
District Total	320427	17271	1628	18899	301528	303156	5.39	0.51	5.90	94.10	94.61
SIRMOUR											
55-PACHHAD(SC)	60411	1678	124	1802	58609	58733	2.78	0.21	2.98	97.02	97.22
56-NAHAN	65783	1711	120	1831	63952	64072	2.60	0.18	2.78	97.22	97.40
57-SRI RENUKAJI(SC)	55749	1628	84	1712	54037	54121	2.92	0.15	3.07	96.93	97.08
58-PAONTA SAHIB	63550	1458	1449	2907	60643	62092	2.29	2.28	4.57	95.43	97.71
59-SHILLAI	56126	2591	1879	4470	51656	53535	4.62	3.35	7.96	92.04	95.38
District Total	301619	9066	3656	12722	288897	292553	3.01	1.21	4.22	95.78	96.99
SHIMLA											
60-CHOPAL	65231	4611	1463	6074	59157	60620	7.07	2.24	9.31	90.69	92.93
61-THEOG	71731	849	162	1011	70720	70882	1.18	0.23	1.41	98.59	98.82
62-KASUMPTI	65356	13457	1537	14994	50362	51899	20.59	2.35	22.94	77.06	79.41
63-SHIMLA	62084	9027	3383	12410	49674	53057	14.54	5.45	19.99	80.01	85.46
64-SHIMLA RURAL	69597	8667	888	9555	60042	60930	12.45	1.28	13.73	86.27	87.55
65-JUBBAL-KOTKHAI	62728	6270	421	6691	56037	56458	10.00	0.67	10.67	89.33	90.00
66-RAMPUR(SC)	67604	5849	838	6687	60917	61755	8.65	1.24	9.89	90.11	91.35
67-ROHRU(SC)	65050	7297	920	8217	56833	57753	11.22	1.41	12.63	87.37	88.78
District Total	529381	56027	10487	66514	462867	473354	10.58	1.98	12.56	87.44	89.42
KINNAUR											
68-KINNAUR(ST)	49433	2233	407	2640	46793	47200	4.52	0.82	5.34	94.66	95.48
District Total	49433	2233	407	2640	46793	47200	4.52	0.82	5.34	94.66	95.48
State Total	4489876	278847	44950	323797	4166079	4211029	6.21	1.00	7.21	92.79	93.79

परिशिष्ट "घ"

क्रम संख्या	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आर0के0 सूद, शिव काटेज, सुभाष नगर, शिमला।	1.4.09	स्थानान्तरण व पद स्थापना बारे।	23.04.2009	20/- रुपए	आवेदक को सूचना 29.04.2009 को प्रदान कर दी गई है।	30/- रुपये
2.	मै0 चावला स्टेशनरी मार्ट, एस.सी.ओ., 175-176, बैसमैट सैक्टर-17सी, चण्डीगढ़।	2-4-09	मतदाता सूचियों की लेजर प्रिन्टिंग बारे।	4-4-2010	68/- रुपए	21-4-2009	10/- रु0 आवेदन के साथ
3.	श्री अर्जुन सिंह पुत्र ज्ञान चन्द, वार्ड नं0 1, हमीरपुर।	6.4.09	स्थानान्तरण व पद स्थापना बारे।	23.04.2009	-	सूचना प्राप्त करने हेतु प्रधान सचिव(सिंचाई) को 23.04.2009 को आवेदन पत्र स्थानान्तरित किया गया है।	10/- रुपए
4.	श्रीमती पी.ए.मोकाशी, "अवानी" सैक्टर 20, प्लॉट 54, कृष्णा नगर, पराछिकारा, चंचवाद, पूने-411019.	13-4-09	निर्वाचन कार्मिकों की नियुक्ति	18-4-09	रुपये 128/- डाक व्यय सहित	सूचना प्राप्त करने नहीं आये	रुपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
5.	श्री दिलीप एम. नानावती, रतना 32, जयहिन्द सोसाईटी, एन. एस. रोड न0 11, जे.वी. पी.डी. स्कीम विलेपारले वैस्ट, मुम्बई-400049	16-4-09	निर्वाचन अभ्यर्थियों की सूचना	18-4-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने हेतु पत्र समस्त रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा) को भेज दिया गया।	-	-	रुपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
6.	श्री संजय सचदेव, 17-वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001	16-4-09	प्रिंटिंग प्रेस की सूचना।	20-4-09	सूचना शून्य	20.4.2009	रुपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
7.	श्री संजय मंडयाल (अधिवक्ता), आफिस नं0 1, कृष्ण कुंज, जिलाधीश कार्यालय के सामने, मण्डी।	21.4.09	स्थानान्तरण व पद स्थापना बारे।	23.04.2009	48/- रुपए डाक व्यय सहित	सूचना प्रदान करने हेतु आवेदक को 23.04.2009 को सूचित किया गया है।	10/- रुपए
8.	Shri Mrinal Laskar, Convenor, Citizen's Forum, Ranibari, Panbazar, Guwahati-781001.	23-4-09	विधान सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की सूची।	24-4-09	रुपये 90/- डाक व्यय सहित	सूचना प्राप्त करने हेतु नहीं आये।	रुपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।

9.	श्री अनिल दीक्षित, करगुवां जी, डाकखाना-मैडिकल झांसी, उत्तर प्रदेश-284128.	29-4-09	अनपढ़ मतदाता के बारे	5-5-09	-	5.5.2009	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
10.	श्री रमेश कुमार देहल, म0न0 07, गांव मटकार, डा0 बहीना जिला हमीरपुर, हि0प्र0।	30.04.09	पीठासीन/मतदान अधिकारियों को दये यात्रा/दैनिक भत्ता की दरों बारे सूचना।	02.05.2009	44/-रु0 जमा 27/-रु0 पंजीकृत डाक खर्च	18.05.2009	10/-रु0 जमा 71/-रु0 कुल 81/-रु0
11.	श्री एस मनीन 306 रामनगर, तामिलनाडू।	7-5-09	जेल में रह रहे मतदाता बारे सूचना	14-5-09	रूपये 38/- डाक व्यय व शुल्क सहित	सूचना प्राप्त करने हेतु नहीं आये।	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
12.	श्री लवण ठाकुर, सदस्य, आर0टी0 आई0 ब्युरो, 88/6 समखेतर, मण्डी।	12.5.09	श्री महेश्वर सिंह द्वारा अपने नाम के साथ "राजा" शब्द लिखने पर आपति बारे।	3.6.2009	26/- रुपए	आवेदक को सूचना 08.06. 2009 को प्रदान कर दी गई है।	36/-रुपये
13.	श्री सुरेन्द्र पाल रस्तोगी, 51-शाहघासा बाजार, मेरठ-250002.	16-5-09	पोलिंग पार्टी को सूविधा बारे	25-5-09	रूपये 88/- डाक व्यय सहित	सूचना प्राप्त करने हेतु नहीं आये।	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
14.	श्री संजय मण्ड्याल, अधिवक्ता, जिला न्यायालय मण्डी, आफिस नं0 1, कृष्ण कुन्ज, जिला मण्डी, हि0प्र0।	21.05.09	पीठासीन/मतदान अधिकारियों को दये यात्रा/दैनिक भत्ता की दरों तथा दिनों की गणना बारे सूचना।	25.05.2009	64/-रु0 जमा 36/-रु0 पंजीकृत खर्च	06.07.2009	10/-रु0 जमा 100/-रु0 कुल 110/-रु0
15.	Shri D.B.Binu, Advocate, Human Defence Forum, Cochin, Chamber of Lawyers, Fathima Plaza, Providence Road, Kochi-18(Kerala).	22-5-09	निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने बारे	25-5-09	रूपये 58/- डाक व्यय सहित	सूचना प्राप्त करने नहीं आये।	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
16.	श्री सतनाम सिंह धालीवाल, Universal Human Rights Organization, बाजरा कॉलोनी राहोन रोड, लुधियाना	22-5-09	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बारे सूचना	28-5-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने हेतु पत्र समस्त रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा) को भेज दिया गया।	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
17.	श्री सुरजन सिंह पुत्र श्री मुरकी लाल, गांव गवास, तहसील चिढ़गांव, जिला शिमला।	28.5.09	लोक सभा चुनाव के दौरान की गई शिकायत बारे	27.6.2009	28/- रुपए डाक व्यय सहित	सूचना प्रदान करने हेतु आवेदक को 27.06.2009 को सूचित किया गया है।	10/- रुपए
18.	श्री एस.एस.मेहरा, एच. 45ए शालीमार बाग, दिल्ली	29-5-09	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अनुसूचित जन जाति से सम्बन्ध रखने बारे।	2-6-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने हेतु पत्र समस्त रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा) को भेज दिया गया।	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।

19.	श्री हरिकृष्ण दास निझवान, B6/69-A, Safdarjung Enclave New Delhi-110029,	3-6-09	अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय बारे।	11-6-09 को सूचना सम्बन्धितों को प्रदाय करने बारे पत्र समस्त रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा) को भेज दिया गया है।	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
20.	श्री दलीप पुत्र श्री बाबुलाल, वासी-दौचाना (नारनौल), हरियाणा।	3-6-09	निर्वाचन में विजयी उमीदवार के बारे सूचना।	11-6-09	आवेदन कर्ता बी.पी. एल. परिवार से सम्बन्ध रखता है।	सूचना प्राप्त करने हेतु नहीं आया।	आवेदन कर्ता ने शुल्क राशि 10/- रूपये जमा नहीं की, उन्हें उक्त राशि जमा करवाने हेतु पत्र लिख दिया गया है।
21.	श्री शंकर नारायण भट्ट, Natraj Studio, Bus Stand Complex, Balehonnur, District Chikmanglur, Karnataka- 577112,	4-6-09	मदिरा के विक्रय से प्राप्त आय बारे।	11-6-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने हेतु पत्र आयुक्त एवं कराधान विभाग, हि0प्र0 शिमला-9 को भेजा गया है।	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
22.	Dr. Vandanaa Singh, B-21, Sector-81, Phase-II, Noida, Gautam Budh Nagar- 201305, (Uttar Pradesh)	8-6-09	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचना।	16-6-09	रूपये 30/- डाक व्यय सहित	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
23.	Shri Jai Prakash Bharati, Advocate, 74, Rajdepur Shahri, Gajipur, Uttar Pradesh- 233001,	11-6-09	कौन भारतीय नागरिक नियम के अनुसार चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है।	16-6-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने बारे रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा)को भेजा गया	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
24.	Shri James Thomas Godwin, Flat No. 16, 3rd Floor, Union House, No.2, Mogal Lane, Off L.J. Road, Mahim, Mumbai-400016	11-6-09	रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कितने अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र रद्द किये गये।	16-6-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने बारे पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा)को भेजा गया	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
25.	Shri M.K.Haridas, Ashirwad, Door No. 31/774, Tagore, Road, Vytila, P.O. Kochi-682019,	11-6-09	लोक सभा निर्वाचन, 2009 में अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से आय बारे।	16-6-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने बारे पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा)को भेजा गया	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।

26.	Shri Prasanta Basu Ray, A/1/4 Deziray Complex, Barabazar, Chandannagar, Hoogly, West Bengal	11-6-09	लोक सभा निर्वाचन, 2009 में कितने टैन्डर मत पत्र डाले गये।	16-6-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने बारे पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा)को भेजा गया	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
27.	श्री बिशन सिंह ठाकुर, किरन लॉज, देवनगर, शिमला-9.	23-6-2009	श्री अनिल सेमवाल की सेवा सम्बन्धी सूचना का प्रदाय।	6-7-2009	22/-	21-7-2009	32/- रूपए (सूचना का मूल्य =22/- व आवेदन शुल्क =10/-)
28.	Shri Aditya Kaul, 304] 3rd Floor, INS Building, Rafi March, New Delhi	2-7-09	Recovery of un accounted funds from political workers/ leaders during the campaigns and lection period.	10-7-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने बारे पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा)को भेजा गया	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
29.	Shri Arun Kumar, RTI Club Uttarakhand, 331/13, Mohit Nagar, Dehradun, Uttrakhand,	9-7-09	How much did the congress Party and the BJP spend in their general publicity campaign through the TV Channels in the recently concluded general Elections?	16-7-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने बारे पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा)को भेजा गया	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
30.	Shri Bindeshwar Sah, Advocate, Ward No. 6, Nagar Panchayat Dumra, P.S.- Dumra, Distt., Sitamarhi, Bihar- 843301,	9-7-09	Information with documentary evidence regarding all the advertisements and all the adds.	16-7-09 को सूचना सम्बन्धित को प्रदाय करने बारे पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (लोक सभा)को भेजा गया	-	-	रूपये 10/- की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई।
31.	श्री महेन्द्र अग्रवाल, अनपारा बाजार अनपारा सोनभद्रा उत्तर प्रदेश -231225.	14-07-09 (भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से)	फोटो पहचान पत्र बनवाने में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, बर्षवार विवरण सहित।	23-07-2009	2/- रूपए सूचना शुल्क 22/- रूपए डाक खर्च (कुल 24/- रूपए (डाक खर्च सहित)	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 23-07-200 9 को पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	आवेदन शुल्क आवेदक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में जमा किया गया है।
32.	श्री सुदर्शन कुमार, डाकघर बरठी, तहसील झंझूता, जिला बिलासपुर।	16-7-2009 समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से।	1996 से विकलांग व्यक्तियों के बैकलॉग बारे सूचना।	1-8-2009	शून्य	1-8-2009 समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को।	शून्य

33.	श्री सुरजन सिंह पुत्र श्री मुरकी लाल, गांव गवास, तहसील चिढ़गांव, जिला शिमला।	21.7.09	लोक सभा चुनाव के दौरान की गई शिकायत बारे	27.6.2009	14/- रुपए	आवेदक को सूचना 21.07. 2009 को प्रदान कर दी गई है	15/- रुपए
34.	श्री राजु चौहान, उप-प्रधान, डीपीएनपीपी, बी-308, एम एस फ्लैट्स, नई दिल्ली	27.7.09	जिला निर्वाचन अधिकारियों व रिटर्निंग आफिसरों द्वारा जारी किये गये पी0बी0 की संख्या व अन्य।	18.8.2009	...	सूचना प्रदाय करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र दिनांक 18.8. 2009 को भेज दिया गया।	10/- रुपए राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा हुई है।
35.	श्री सोनु नारंग, महा सचिव, डीपीएनपीपी, 540/13, नई बस्ती किशन गंज, दिल्ली-7.	27.7.09	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का विवरण जिन्होंने पोस्टर्स, झड़ियों, व अन्य प्रचार सामग्री को अपने खर्च में दर्शाया हो।	18.8.2009	...	सूचना प्रदाय करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र दिनांक 18.8. 2009 को भेज दिया गया।	10/- रुपए राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा हुई है।
36.	श्री हर्ष मल्होत्रा, महा सचिव, डीपीएनपीपी, 2137/3, गली नं0-3, तीसरी मजिल चूना मण्डी, पहाड़ गंज, नई दिल्ली।	27.7.09	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का विवरण जिन्होंने पोस्टर्स, झड़ियों, व अन्य प्रचार सामग्री को अपने खर्च में दर्शाया हो।	18.8.2009	152/- रुपए डाक व्यय सहित	सूचना प्रदाय करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को तथा आवेदक को पत्र दिनांक 18.8.2009 को भेज दिया गया।	10/- रुपए राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा हुई है।
37.	Shri Harsh Malhotra, Secy, Gen. DPNPP, 2137/3, Gali No.3, 3rd Floor Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-55.	27.7.09 मार्फत लोक सूचना अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग।	आयोग की हिदायत दिनांक 23.11.2007 की उल्लंघना बारे (वाहनों का दुरुपयोग)	30.7.2009 समस्त लोक सूचना अधिकारी, (जिला निर्वाचन अधिकारी) हिमाचल प्रदेश को सूचना प्रदाय करने हेतु स्थानांतरित किया गया।	-	-	10/-रुपए शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जमा की गई।
38.	Shri Anand Sharma, Advocate, Vimal Sadan, Near Co- operative Bank, Shimla-171002.	27.7.09 मार्फत लोक सूचना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।	सभी विधान सभा सदस्यों के दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2007 तक की आयकर की जानकारी बारे।	31.7.2009 को प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है कि इस विभाग में केवल समस्त विधान सभा सदस्यों की विधान सभा निर्वाचन, 2007 से सम्बन्धित assets and liabilities की सूचना उपलब्ध है।	704/- रुपए जमा 84/- रुपए पंजीकृत डाक खर्च	आवेदन कर्ता से सूचना प्राप्त करने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	10/-रुपए शुल्क की राशि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय में जमा की गई।

39.	Shri Chhote Lal Tripathi, MIG, A.V.K.Y.3 Jhunsi, Allahabad, Uttar Pradesh	28.7.09	1. पर्यवेक्षक, मीडियाकर्मी, मतदान पार्टियों की सूचना	6.8.2009 को प्रार्थी को सूचित गया कि पर्यवेक्षक, मीडियाकर्मी, मतदान पार्टियां इत्यादि की सूचना विभाग के पास उपलब्ध है।	24 / - रूपए जमा 36 / - रूपए पंजीकृत डाक खर्च	आवेदन कर्ता से सूचना प्राप्त करने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	10 / - रूपए शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जमा की गई।
			2. पर्यवेक्षक, मीडियाकर्मी, मतदान कार्मिकों में से कितनों ने मतदान किया है।	6.8.2009 समस्त लोक सूचना अधिकारी, (जिला निर्वाचन अधिकारी) हिमाचल प्रदेश को सूचना प्रदाय करने हेतु स्थानांतरित किया गया।	-	-	-
40.	सोहन लाल ठाकुर पुत्र श्री बाबू राम गांव कोटला, डा0 हनुमान बडोग, तह0 अर्की, जिला सोलन।	30.7.09	सरकारी कर्मचारी द्वारा राजनैतिक पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने बारे।	22.8.2009	सूचना बारे आवेदक को 22.8.2009 को सूचित किया गया है।	10 / - रूपये
41.	Sh. Bindeshwer Sah, Advocate, Ward No.6, Nagar Panchayat Dumra, P.S. - Dumra, Dist. Sitamarhi, Bihar-843301	04.08.09	1. Complaint reg. Dual electors in relation to SC/ST. 2. Complaint reg. Migrant registered electors. 3. Information reg. places of registration in r/o Rajya Sabha Member. 4. Election related dispute settled/ pending in different Courts. 5. Documentary evidence reg. registration of electors. 6. Information reg. Cancellation of previous registration in case of subsequent registration.	22-08-09 (आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 22.8.09 को लिख दिया गया है)	24 / -	---	रूपये 10 / - की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा की गई है।
42.	Shri Vishal Gupta S/o Shri P.R.Gupta, Near PG College, Opp Himanshi Institute, Village Rakh Ram Singh, Nalagarh, District Solan (HP) PIN-174101.	11.8.09	लोक सभा निर्वाचन, 2009 के दौरान निर्वाचन डियूटी पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति/ हिदायतों बारे।	12.8.2009	20 / - रूपए जमा 36 / - रूपए पंजीकृत डाक खर्च	26.8.2009	70 / - रूपए (10 / - रूपए शुल्क की राशि सहित)

			लोक सभा निर्वाचन, 2009 के दौरान निर्वाचन डियूटी पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सूची बारे।	12.8.2009 समस्त लोक सूचना अधिकारी, (जिला निर्वाचन अधिकारी) हिमाचल प्रदेश को सूचना प्रदाय करने हेतु स्थानांतरित किया गया।	—	—	—
43.	Shri Vijay Kumar Sharma, House NO. 156A, Sarai Jullena, New Delhi-110025	17.8.2009	लोक सभा निर्वाचन, 2009 के दौरान पुर्नगिनती (Recounting) बारे।	21.8.2009 शून्य सूचना भेज दी गई है।	—	—	10/-रूपए शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जमा की गई।
44.	श्री सुदर्शन कुमार, डाकघर बरठी, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर।	18-8-2009 समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से।	1996 से विकलांग व्यक्तियों के बैकलॉग बारे सूचना।	22-8-2009	शून्य	22-8-2009 सीधे आवेदनकर्ता को।	शून्य
45.	श्री सुरेन्द्र सिंह मनकोटिया, 46-टाईप-III ब्राक हास्ट, शिमला।	22.8.09	लोक सभा निर्वाचनों-2009 के दौरान सरकारी कर्मचारियों बारे प्राप्त शिकायतों का विवरण।	5.9.2009	108/- रूपए	आवेदक को सूचना 14.09.2009 को प्रदान कर दी गई है	120/-रूपए
46.	Shri Prasanta Samanta, H/o S.Bhatt, House No. H/O Shekher Bhattacharya, 13. Birhata-Netaji Lane, Burdwan, West Bengal-713101.	25-8-09	Information in respect of security forfeited during Lok Sabha Elections upto 2009	8-9-09	आवेदन कर्ता बी.पी. एल. परिवार से सम्बन्ध रखता है।	8-9-09	—
47.	Shri K.Ravikumar, Ajayabhavana, Chngankulanga ra, Oachira PO, Kollam, Kerala-690526.	2.9.09	लोक सभा निर्वाचन, 2009 से सम्बन्धित नामांकन सम्बन्धी स्मस्त दस्तावेज प्रदाय करने बारे।	3.9.2009 समस्त रिटर्निंग आफिसर (लोक सूचना अधिकारी) 1-कांगड़ा 2-मण्डी, 3-हमीरपुर 4-शिमला (अ. जा.) को सूचना प्रदाय करने हेतु स्थानांतरित किया गया।	—	—	आवेदन कर्ता बी. पी.एल. परिवार से सम्बन्धित है।
48.	Shri Bharat Bhushan Dang, 1-111 Lajpat Nagar, New Delhi-24,	10.9.09	लोक सभा निर्वाचन, 2009 से सम्बन्धित समस्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची।	14.9.2009 को प्रार्थी को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है	8/- रूपए जमा 27/- रूपए पंजीकृत डाक खर्च	—	10/-रूपए शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जमा की गई।

			लोक सभा निर्वाचन, 2009 से सम्बन्धित समस्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के फ़ैक्स/ मोबाईल/ वेबसाईट नम्बर की सूचना बार।	14.9.2009 समस्त रिटर्निंग आफिसर (लोक सूचना अधिकारी) 1-कांगड़ा 2-मण्डी, 3-हमीरपुर 4-शिमला (अ. जा.) को सूचना प्रदाय करने हेतु स्थानातरित किया गया।	-	-	-
49.	Shri Abhijit Mehta, A 201, Lennie, Lokhandwala Complex Andheri West, Mumbai-53.	10.9.09	लोक सभा निर्वाचन, 2009 से सम्बन्धित मतदान केन्द्रवार परिणाम व अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय की सूचना।	14.9.2009 को सूचना प्रदाय करने हेतु सूचित किया गया।	700/- रूपए जमा 100/- रूपए पंजीकृत डाक खर्च	-	10/-रूपए शुल्क की राशि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जमा की गई।
50.	श्री मनोज दीक्षित, उपाध्यक्ष, कांगड़ा भारतीय मजदूर संघ, गांव गुग्गा सलोह, तह0 पालमपुर, जिला कांगड़ा।	15.9.09	श्री विनोद कुमार, भाषा अध्यापक को आदर्श आचार संहिता में नौकरी से निष्काषित करने बारे शिकायत की प्रति।	30.9.2009	4/-रूपये	सूचना प्रदान करने हेतु आवेदक को 30.09.2009 को सूचित किया गया है।	10/- रूपए
51.	Sh. A. B. Rajbansh, Village Ansoli P. O. Mataur District Kangra Himachal Pradesh.	15-09-09	Request for information under The Right to information Act. 2005	17-09-09	-	-	-
52.	श्रीमति श्रेष्ठा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, गांव लियुन्डा, डा0 सकोह, जिला कांगड़ा।	16.9.09	ओंकार सिंह पटवारी, वरशम के विरुद्ध श्री बसन्त सिंह द्वारा दायर की गई शिकायत की प्रतियां	29.9.2009	39/- रूपये	आवेदक को सूचना 12.10. 2009 को प्रदान कर दी गई है	50/-रूपए
53.	श्री ए0 रमेश मणी कदंन, प्रधान, मानव अधिकार जागरूकता समिति, चैन्नई।	18.9.09	निर्वाचकीय अपराधों बारे सूचना।	29.9.2009	...	सूचना प्रदाय करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र दिनांक 29.9. 2009 को भेज दिया गया।	10/- रूपए राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा हुई है।
54.	Sh. K. Ravikuma, Ajayabhavana, Changankulang ara, Oachira. P. O . Kollam Kerara District, Kerala-690526	22.09.09	Transfer of an application under section 6 (3) of the right to the information Act. 2005	24-09-09	-	-	-

55.	Miss Yogita Dutta and Shri Divya Pal Singh, Advocates, H.P. High Court, Shimla, 106 New PC Chamber, Jodha Niwas, Shimla-171001.	22.9.09	वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 के दौरान अवकाश एवं कार्यदिवस के दौरान शिक्षकों की विधान सभा एवं लोक सभा निर्वाचनों में नियुक्ति बारे।	24.9.2009 समस्त लोक सूचना अधिकारी, (जिला निर्वाचन अधिकारी) हिमाचल प्रदेश को सूचना प्रदाय करने हेतु स्थानांतरित किया गया।	—	—	10/—रूपए शुल्क की राशि विभागीय रोकड़ीया को जमा की गई।
56.	श्री सुभाष आहलूवालिया, आईएएस, प्रबन्ध निदेशक, हि.प्र. अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम।	5-10-2009 कार्मिक विभाग के माध्यम से।	निजी कम्पनियों में कार्यरत श्रेणी-1 अधिकारियों के बारे सूचना।	9-10-2009	शून्य	9-10-2009 सीधे आवेदन कर्ता को।	शून्य
57.	श्री सुभाष आहलूवालिया, आईएएस, प्रबन्ध निदेशक, हि.प्र. अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम।	5-10-2009 कार्मिक विभाग के माध्यम से।	उन श्रेणी-1 अधिकारियों के नाम, जिन्होंने विदेश यात्रा हेतु अनुमति प्राप्त की है।	9-10-2009	शून्य	9-10-2009 सीधे आवेदनकर्ता को।	शून्य
58.	भूतपूर्व सूबेदार मेजर आर.सी.ठाकुर, ठाकुर निवास, वी.पी.ओ. जंडपुर, तहसील बैजनाथ।	5-10-2009 सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से।	सेवारत/ भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली विभिन्न रियायतों के बारे।	3-11-2009	14/—	आवेदक द्वारा सूचना नहीं ली गई है।	शून्य
59.	श्री राजीव मल्होत्रा 30 जुपिटर अपार्टमेंट विकासपुरी नई दिल्ली -110018	13-10-09 (भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से)	श्री राजेन्द्र गोयल निवासी शिमला द्वारा दो फोटो पहचान पत्र बनवाने के बारे।	प्रार्थना पत्र दिनांक 14-10-2009 को जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला को सूचना प्रदान करने हेतु अग्रेषित किया गया है।	—	—	शून्य (आवेदक द्वारा किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करवाया गया है जिसके लिए आवेदक को लिखा गया है।)
60.	श्री सुनील ठाकुर, गांव व डाकघर किन्नु, तहसील रामपुर, जिला कांगड़ा।	19-10-2009 श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से।	एसे कर्मचारियों, जिन्हें मूल वेतन जमा 50 प्रतिशत डी.पी. पर भुगतान किया जा रहा है, के सम्बन्ध में सूचना।	26-10-2009	शून्य	26-10-2009 डाक द्वारा।	शून्य
61.	श्री संदीप सिंह, गांव व डाकघर सुलयानी, तहसील नुरपुर, जिला कांगड़ा।	27-10-2009	अक्षम व्यक्तियों हेतु आरक्षित 3 प्रतिशत पदों के विपरीत नियुक्त कर्मचारियों के अक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदाय करने बारे।	31-10-2009	16/— रूपए	आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त नहीं की गई।	शून्य

62.	Shri Neeraj Bharwaj, Advocate, District Court, Solan Through PIO, Vidhan Sabha	17.11.09	डा0राजीव बिन्दल, अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्रों के साथ भरे जाने वाले सम्पत्ति के विवरण बारे।	18.11.2009 लोक सूचना अधिकारी, (जिला निर्वाचन अधिकारी), सोलन को सूचना प्रदाय करने हेतु स्थानांतरित किया गया।	—	—	10/—रूपए शुल्क की राशि लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा के पास जमा करवाई गई है।
63.	Shri Satyendra Narayan Singh, Advocate Patna High Court, Vice President, Lawyer's Association, Patna High Court-Patna-800001.	18.11.09	निर्वाचनों के संचालन हेतु अयोग्य घोषित जिला स्तर के अधिकारियों की सूची	18.11.2009	—	18.11.2009	10/—रूपए शुल्क की राशि निर्वाचन आयोग के पास जमा करवाई गई है।
64.	श्रीमति चन्दना कपूर पत्नी सन्नी कपूर निवासी 47-ए बैंक कलोनी अम्बाला कैन्ट।	24-11-09	फोटो पहचान पत्रों की कार्यालय प्रति से फोटोकॉपी लेने के प्रार्थना पत्र।	विभाग के पास फोटो पहचान पत्रों की कार्यालय प्रति नहीं होती जिस बारे आवेदक को सूचित कर दिया गया है।	—	—	शून्य
65.	श्री डी0एन0 शर्मा, अधिवक्ता, हि0प्र0 उच्च न्यायालय, शिमला।	30.11.09	रोहडू व ज्वाली विधान सभा उप-चुनाव के दौरान जिला शिमला से सम्बन्धित अन्य विभागों को कर्मचारियों के स्थानान्तरण इत्यादि पर दी गई अनुमतियों बारे सूचना।	2.12.2009	22/— रूपए	आवेदक को सूचना 17.12. 2009 को प्रदान कर दी गई है	32/— रूपए
66.	श्री अश्वनी शर्मा, दि इंडियन एक्सप्रेस, दि माल, शिमला।	1-12-2009 कार्मिक विभाग के माध्यम से।	उन श्रेणी-1 अधिकारियों के नाम, जिन्होंने विदेश यात्रा हेतु अनुमति प्राप्त की है।	4-12-2009	शून्य	4-12-2009 डाक द्वारा।	शून्य
67.	श्री संजय कपूर, महा-सचिव, हि0प्र0 कर्मचारी संघ, जी0बी0एस0एस0, धर्मशाला, तह0 व डाकघर धर्मशाला।	8-12-09	लोक सभा चुनाव, 2009-पीठासीन/ मतदान अधिकारियों को देय यात्रा/दैनिक भत्ता की दरों बारे सूचना।	9-12-09	40/—रु0 जमा 27/—रु0 पंजीकृत डाक खर्च	—	10/— रु0 आवेदन राशि
68.	Sh.K.M.Mathew Kannelil Sharon Kottampally Madathikaranm a.P.O.Orchira, Kollam District, Kerala-690526	16-12-09	Transfer of an application under section6 (3) of the right to the information Act.2005	29-12-09	8/—रु0 जमा 27/—रु0 पंजीकृत डाक खर्च कुल 35/— रूपये	—	—

69.	Mrs. Seema Chishti, The Indian Express Ltd., Express Building 9&10, Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi Through PIO, ECI	18.12.09	लोक सभा के लिए निर्वाचित संसद सदस्यों के व्यय के खातों का विवरण ।	19.12.2009 लोक सूचना अधिकारी, (जिला निर्वाचन अधिकारी), कांगड़ा, मण्डी, हमीरपुर एवं शिमला को सूचना प्रदाय करने हेतु स्थानांतरित किया गया ।	-	-	10/-रूपए शुल्क की राशि निर्वाचन आयोग के पास जमा करवाई गई है ।
70.	श्रीमती मान दासी, पत्नी श्री प्रेम चन्द, तहसीलदार (निर्वाचन) सेवानिवृत्त, मार्फत श्रीमती अनिता देवी, डाक सहायक, मुख्य डाक घर ढालपुर, कुल्लू।	18-12-2009	श्री प्रेम चन्द, सेवानिवृत्त तहसीलदार (निर्वाचन), कुल्लू द्वारा पारिवारिक पेंशन के लिए मनोनीत/ नाम निर्देशित व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना ।	19-12-2009	22/- रूपए	19-12-09 डाक द्वारा ।	20/-रूपए (सूचना का मूल्य =10/- व आवेदन शुल्क =10/-)
71.	कुमारी प्रीती शर्मा, गांव व डाकघर शकरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा ।	15-1-2010 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से ।	सरकारी विभागों में आई.टी. डिप्लोमा होल्डर से सम्बन्धित रिक्त पदों के बारे सूचना ।	20-1-2010	शून्य	20-1-2010 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को ।	शून्य
72.	Shri Vineet Singh, 44/895, Gulab nagar, Bodla, Agra, Uttar Pradesh.	19.2.2010	लोक सभा निर्वाचन, 2009 से सम्बन्धित मतदान केन्द्रवार परिणाम ।	20.2.2010	792/- रूपए + 100(डाक खर्च सहित)	सूचना प्राप्त करने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।	10/-रूपए शुल्क की राशि लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा के पास जमा करवाई गई है ।
73.	श्री एम0एम0गुप्ता, गांव व डाक बड़ागांव, तह0 कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0	24.02.2010	लोक सभा चुनाव, 2009-प्रतिनियुक्त कार्मिकों को देय यात्रा/दैनिक भत्ता की दरों बारे सूचना ।	02.03.2010	67/-रु0 जमा 27/-रु0 पंजीकृत डाक खर्च	-	40/- रु0 आवेदन के साथ
74.	श्री ओंकार सिंह चन्देल, हाऊस नम्बर-144, वार्ड नम्बर-2, हमीरपुर ।	26-2-2010 युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के माध्यम से ।	विभिन्न विभागों में खेल कोट के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में सूचना ।	3-3-2010	शून्य	20-1-2010 सीधे आवेदन को डाक द्वारा ।	शून्य
75.	श्रीमति सीमा कुमारी पत्नी अशोक कुमार गांव व डाकघर मुण्डखर गैण्डा, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर हि0प्र0 ।	08.03.2010	फोटो पहचान पत्र न मिलने के बारे में ।	प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर को सूचना प्रदान करने हेतु अग्रपिप्त किया गया है ।	-	-	आवेदन शुल्क मु0 10रु- प्राप्त किया गया है ।
76.	श्री नन्द लाल यादव, केन्द्रीय विद्यालय चमेरा-1 खैरी, तह0 डलहौजी, जिला चम्बा (द्वारा ई0सी0आई0)	08.03.2010	विधान सभा निर्वाचन-2007 से सम्बन्धित यात्रा भत्ता का भुगतान न होने बारे ।	सूचना जिला चम्बा से सम्बन्धित होने के कारण मूलरूप में दिनांक 11.03. 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी(उपा0, चम्बा को भेज दी गई है ।	-	-	-

77.	श्री कैलाश चन्द, गांव व डाकघर कोठी, तहसील कल्या, जिला किन्नौर।	18-3-2010	अनुबन्ध कर्मियों को संशोधित वेतनमानों के आधार पर प्रदाय किए जा रहे वेतन आदेशों की प्रतियां।	18-3-2010	10/-	18-3-2010 सीधे आवेदनकर्ता को दस्ती।	20/-रूपए (सूचना का मूल्य =10/- व आवेदन शुल्क =10/-)
78.	श्री एम.अधिकेसवन नम्बर-547, महाकवि भारती नगर, चेन्नई।	18-3-2010 कार्मिक विभाग के माध्यम से।	अनुसूचित जाति व जनजाति से सम्बन्धित सभी आई.ए.एस./आई.पी.एस./ आई.आर.एस./आई.एफ.एस. अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना।	22-3-2010	शून्य	22-3-2010 सीधे आवेदनकर्ता को डाक द्वारा।	शून्य
79.	श्री श्यामलाल यादव, विशेष संवाददाता, इंडिया टूडे, एफ-26, कनाटप्लेस, नई दिल्ली।	29.3.2010	लोक सभा निर्वाचन-2009 के दौरान जब्त की गई धनराशि बारे सूचना।	03.04.2010	-	सूचना प्रदाय करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) को पत्र 03.04.2010 को भेज दिया गया है।	10/- रूपए राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा हुई है।